



वार्षिक लेखा

2013–14

पृथक सीएजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट
एवं प्रबंधन के उत्तर सहित



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एनएएससी काम्पलैक्स, डीपीएस मार्ग
नई दिल्ली-110012

विषय सूची

क्रमसंख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	तुलन—पत्र	1
2.	आय और व्यय का लेखा	2
3.	प्राप्ति एवं अदायगी का लेखा	3—4
4.	तुलन पत्र की अनुसूचियाँ	5—13
5.	आय और व्यय की अनूसूचियाँ	14—19
6.	पूर्व अवधि समायोजन लेखा (अनुबंध—क)	20
7.	विद्यमान डीयूएस केन्द्रों से प्राप्त राशि के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण (अनुबंध — ख)	21—25
8.	विद्यमान डीयूएस केन्द्रों से देय राशि के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण (अनुबंध — ग)	26
9.	नये डीयूएस केन्द्रों से प्राप्त राशि के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण (अनुबंध — घ)	27—32
10.	नये डीयूएस केन्द्रों को देय राशि को दर्शाने वाला विवरण (अनुबंध — ङ)	33
11.	संदर्भ प्रयोगशालाओं से प्राप्त राशि राशि को दर्शाने वाला विवरण (अनुबंध — च)	34
12.	जीन बैंक तथा फील्ड जीन बैंक से प्राप्त राशि को दर्शाने वाला विवरण (अनुबंध — छ)	35
13.	जीन बैंक तथा फिल्ड जीन बैंक को देय राशि को दर्शाने वाला विवरण (अनुबंध — ज)	36
14.	प्रशिक्षण केन्द्रों को पेशगियाँ (अनुबंध — झ)	37—45
15.	बाहरी संस्थाओं को पेशगियाँ (अनुबंध — झ)	46
16.	स्टाफ को पेशगियाँ (अनुबंध — ट)	47
17.	अदा की गई वैधानिक देयताएं (अनुबंध — ठ)	48
18.	प्रशिक्षण केन्द्रों से पेशगी की वापसी (अनुबंध — ड)	49
19.	स्टाफ से पेशगी की वापसी (अनुबंध — ढ)	50
20.	पीपीवी और एफआरए की प्रमुख लेखा नीतियाँ (अनुसूची 24)	51—54
21.	आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियाँ (अनुसूची 25)	55—60
22.	पृथक सीएजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट	61—65
23.	प्रबंधन के उत्तर	66—68

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

31 मार्च 2014 को तुलन पत्र

राशि (रुपयों में)

कॉर्पस/पूँजी निधि तथा देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
कॉर्पस/पूँजी निधि	1	15,04,85,802	13,24,08,267
आरक्षित राशि और अतिरिक्त राशि	2	—	—
निर्धारित/स्थायी निधि	3	—	—
सुरक्षित ऋण तथा उधारियां	4	—	—
असुरक्षित ऋण तथा उधारियां	5	—	—
आगे खिसकाई गई ऋण देयताएं	6	—	—
चालू देयताएं और प्रावधान	7	5,72,12,802	4,03,40,487
योग		20,76,98,604	17,27,48,754
परिसम्पत्तियां			
स्थिर परिसम्पत्तियां	8(A)	2,88,46,845	2,76,74,241
घटाएँ : संचयित मूल्यद्वास		2,10,04,948	1,78,53,194
निवल स्थायी परिसम्पत्तियां		78,41,897	98,21,047
पूँजीगत कार्य में प्रगतियां	8(B)	1,78,38,219	1,78,38,219
निवेश – निर्धारित/स्थायी निधियों से	9	—	—
निवेश – अन्य से	10	—	—
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, पेशगियां आदि	11	18,20,18,488	14,50,89,488
फुटकर व्यय		—	—
(जो बट्टे खाते में न डाली गई हों या समायोजित न की गई हो)			
योग		20,76,98,604	17,27,48,754
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां	25		

भारत कृषि प्रधान
आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82

आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के आय और व्यय का लेखा

राशि (रुपयों में)

		प्राधिकृत निधि		जीन निधि	
आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
विक्री/सेवाओं से हुई आय	12	—	—	—	—
अनुदान/सहायता	13	15,00,23,396	15,32,70,863	85,00,000	50,00,000
शुल्क/चंदा	14	1,86,96,550	31,72,900	19,05,498	8,49,983
निवेशों से हुई आय	15	—	—	—	—
रॉयलटी, प्रकाशनों आदि से हुई आय	16	—	—	—	—
अर्जित ब्याज	17	51,83,817	38,22,363	13,61,096	11,44,301
अन्य आय	18	42,417	2,36,569	—	—
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि (गिरावट) और चालू कार्य	19	—	—	—	—
आरथगित आय (अचल सम्पत्तियों पर मूलद्वारा)		31,51,754	35,83,531	—	—
पूर्व समय समायोजन लेखा (अनुबंध क)		—	—	—	—
योग (क)		17,70,97,934	16,40,86,226	1,17,66,594	69,94,284
व्यय					
स्थापना व्यय	20	4,10,80,100	3,64,99,570	—	—
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	4,20,33,831	2,84,59,357	61,10,817	46,04,021
अनुदान/चंदों आदि पर हुआ व्यय	22	6,43,97,379	6,30,04,554	—	—
ब्याज	23	1,321	3,632	—	—
मूलद्वारा (अनुसूची 8 से सम्बद्ध वर्ष के अंत में निवल योग)		31,51,754	35,83,531	—	—
पूर्व समय समायोजन लेखा (अनुबंध—क)		1,20,32,641	70,70,668		81,191
योग (ख)		16,26,97,026	13,86,21,312	61,10,817	46,85,212
व्यय की तुलना में आय घटाकर शेष राशि (क—ख)		1,44,00,908	2,54,64,914	56,55,777	23,09,072
विशेष आरक्षित निधि में हस्तांतरण (प्रत्येक को अलग—अलग बताएं)		—	—	—	—
सामान्य आरक्षित निधि को/से हस्तांतरण		—	—	—	—
कॉर्पस/पूँजी निधि तक ले जाई गई शेष अतिरिक्त राशि (अंतर)		1,44,00,908	2,54,64,914	56,55,777	23,09,072
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	24				
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	25				

क्रान्ति कानून प्रधान
आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. कृष्णनान
आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष की प्राप्ति एवं अदायगी का लेखा

राशि (रुपयों में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	अदायगीयां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. आदिशेष			1. व्यय		
क. मौजूद नकद राशि	10,000	5,000	क. स्थापना व्यय	2,69,69,070	2,69,32,784
ख. बैंक अधिशेष			ख. प्रशासनिक व्यय	2,73,93,982	2,28,34,027
एसबीआई (मोड लेखा सहित)	1,61,84,501	4,63,722	2. निधियों के विरुद्ध अदायगीयां		
सिंडिकेट बैंक	58,28,425	2,41,96,312	क. विद्यमान डीयूएस केन्द्र (अनुबंध ख व ग)	3,93,85,671	3,24,08,334
लेन-देन में वापसी	3,739	—	ख. नए डीयूएस केन्द्र (अनुबंध घ व ड.)	2,30,61,424	2,96,31,098
एस बी आई (जीन निधि)	1,12,88,001	58,53,950	ग. संदर्भ प्रयोगशालाएं (अनुबंध च)	11,83,254	63,70,000
गुवाहाटी बैंक	17,160	48,856	घ. फील्ड जीन बैंक (अनुबंध छ व ज)	46,30,000	53,42,243
रांची बैंक	14,825	93,062	3. अचल सम्पत्तियों पर व्यय तथा पूँजी कार्य में प्रगति		
2. प्राप्त अनुदान			क. अचल सम्पत्ति की खरीद (प्राधिकरण)	7,04,129	68,60,060
भारत सरकार से	15,11,96,000	16,02,33,000	ख. चालू पूँजी कार्य पर व्यय	—	64,93,543
3. बैंक में जमा राशि पर प्राप्त व्याज			4. प्रशिक्षण केन्द्रों को पेशगी (अनुबंध झ)	1,98,81,163	81,03,165
क. जीन निधि	5,41,753	40,268	5. आपूर्तिकर्ताओं को पेशगी	—	7,16,653
ख. प्राधिकरण निधि	16,94,768	10,86,257	6. बाहरी संस्थाओं को पेशगी (अनुबंध ट)	6,76,050	27,53,256
4. प्रशिक्षण केन्द्रों से प्राप्त पेशगीयां (अनुबंध ढ)	8,27,471	4,12,626	7. डीयूएस परीक्षण शुल्क के विरुद्ध पेशगी	—	51,79,250
5. शुल्क/अंशदान/अन्य आय			8. फ्रैंकिंग मशीन को पुनः भरना	2,50,000	1,50,000
प्राप्त आवेदन/पंजीकरण शुल्क	49,72,000	30,32,000	9. संगठनों/संस्थाओं को योगदान	—	26,24,015
पीवीजे शुल्क	59,200	39,800	10. स्टाफ को पेशगी (अनुबंध ठ)	29,37,484	41,43,829
आपत्ति के नोटिस के लिए शुल्क	53,000	1,48,500	11. वित्त प्रभार	1,777	7,909

जारी है...

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	अदायगियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
वार्षिक शुल्क (बीच की बिक्री से प्राप्त हिस्सा सहित)–जीन निधि	17,91,498	7,39,983	12. प्राप्त पेशगी के विरुद्ध अदायगियां	50,000	55,000
पुराने समाचार–पत्रों, रद्दी की बिक्री	2,233	26,240	13. मियादी जमा	7,22,00,000	13,24,00,000
प्राप्त डीयूएस परीक्षण शुल्क	1,36,19,500	2,03,61,000	14. पुराने डिमांड डाफ्ट की वापसी	–	32,600
अन्य आय	5,666	5,693	15. अदा की गई वैधानिक देयताएं (अनुबंध ड)	43,58,258	44,09,252
प्रकाशनों की बिक्री	17,220	–	16. अंतशेष		
वाहन बीमे से प्राप्त दावा	9,867	–	क. मौजूद नकद राशि	15,000	10,000
विस्तार स्वीकृत के लिए शुल्क	4,500	–	ख. बैंक में शेष राशि		
6. स्टाफ से पेशगी की वसूली (अनुबंध ण)	4,27,222	11,99,503	भारतीय स्टेट बैंक (मोड लेखा सहित)	3,18,54,153	1,61,84,501
7. मियादी जमा का नकदीकरण	6,56,24,338	11,16,80,872	सिंडिकेट बैंक	26,29,758	58,28,425
8. पुराने चैकों की राशि की वापसी	–	38,503	एसबीआई (जीन निधि)	1,60,10,435	1,12,88,001
9. सीपीएफ (एफडी) का नकदीकरण	–	7,99,394	गुवाहाटी बैंक	14,409	17,160
10. जीवन बीमा निगम से प्राप्त अनुदान का दावा	–	2,88,927	रांची बैंक	2,498	14,825
11. बैंक में गलत नामे जिसे अब सुधार लिया गया है	–	200	लेन–देन में वापसी	34,372	3,739
12. जमा सिक्योरिटी	50,000	–			
योग	27,42,42,887	33,07,93,669	योग	27,42,42,887	33,07,93,669

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली–110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली–110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली–110012

31 मार्च 2014 को तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

राशि (रूपयों में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष		
अनुसूची-1 : कॉर्पस / पूँजी निधि				
क) प्राधिकरण निधि				
वर्ष के आरंभ के अनुसार शेष राशि	11,43,51,772	8,55,08,252		
जोड़ें : प्राधिकरण निधि के लिए योगदान	11,72,604	69,62,137		
घटाएँ : मूल्य छास के लिए घटाव	31,51,754	35,83,531		
जोड़ें (घटाएँ) : आय तथा व्यय लेखे से हस्तांतरित निवल	1,44,00,908	12,67,73,530	2,54,64,914	11,43,51,772
आय (व्यय) की शेष राशि				
ख) जीन निधि				
वर्ष के आरंभ के अनुसार शेष राशि	1,80,56,495	1,57,47,423		
जोड़ें : कार्पस / पूँजी निधि के लिए योगदान	-	-		
जोड़ें (घटाएँ) : निवल आय की शेष राशि / (व्यय) आय और व्यय लेखे से हस्तांतरित	56,55,777	2,37,12,272	23,09,072	1,80,56,495
वर्ष के अंत में शेष राशि		15,04,85,802		13,24,08,267
अनुसूची-2 : आरक्षित तथा अतिरिक्त राशियां				
1. पूँजीगत आरक्षित राशि				
पिछले लेखे के अनुसार	-	-		
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	-	-		
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
2. पुनर्मूल्यांकनगत आरक्षित राशि				
पिछले लेखे के अनुसार	-	-		
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	-	-		
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
3. विशेष आरक्षित राशि				
पिछले लेखे के अनुसार	-	-		
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	-	-		
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
4. सामान्य आरक्षित राशि				
पिछले लेखे के अनुसार	-	-		
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	-	-		
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
योग		-	-	-

भारत सरकार प्रधान
आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची-3 : निर्धारित/स्थायी निधियां		
क. निधियों का आदि शेष	-	-
ख. प्राप्त की गई निधियां		
1. दान/अनुदान	-	-
2. निधियों पर किए गए निवेश से आय	-	-
3. अन्य अतिरिक्त राशि (प्रकृति बताएं)	-	-
योग (क+ख)	-	-
ग. उपयोग/निधियों के उद्देश्य पर व्यय		
1. पूँजी व्यय		
अचल सम्पत्तियां	-	-
अन्य	-	-
2. राजस्व व्यय		
वेतन, मजदूरी और भत्ते	-	-
किराया	-	-
अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-
योग (ग)	-	-
समाप्त वर्ष पर निवल शेष राशि (क+ख-ग)	-	-

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हर्चिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची-4 : सुरक्षित ऋण और उधारियां		
1. केन्द्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (विशिष्ट)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं		
क. आवधिक ऋण	-	-
ख. प्राप्ति तथा बकाया व्याज	-	-
4. बैंक		
क. आवधिक ऋण	-	-
ख. अन्य ऋण (विशिष्ट)	-	-
5. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसियां	-	-
6. डिबेंचर और बॉण्ड	-	-
7. अन्य	-	
योग	-	-
अनुसूची-5 : असुरक्षित ऋण और उधारियां		
1. केन्द्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (विशिष्ट)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-
4. बैंक		
क. आवधिक ऋण	-	-
ख. अन्य ऋण	-	-
5. संस्थाएं तथा एजेंसियां	-	-
6. डिबेंचर और बॉण्ड	-	-
7. स्थायी जमा	-	-
8. अन्य	-	-
योग	-	-
अनुसूची-6 : आस्थगित ऋण देयताएं		
क. पूँजी उपकरण तथा अन्य सम्पत्तियां की जमानत द्वारा प्राप्त स्वीकृतियां	-	-
ख. अन्य	-	-
योग	-	-

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	
अनुसूची-7 : चालू देयताएं और प्रावधान			
क. चालू देयताएं			
1. स्वीकृतियां		—	—
2. छोटे ऋण			
क. माल के लिए	20,000		20,000
ख. अन्य के लिए	—		—
ग. स्टाफ के लिए	—		117
बकाया वेतन	23,13,388		18,60,033
बकाया मजदूरी	2,90,342		2,36,270
बकाया व्यय	9,46,853		5,02,102
बकाया सामान्य सेवा प्रभार	9,00,000		8,03,896
यात्रा भत्ता के लिए देयता	76,617		1,49,910
चिकित्सा व्यय के लिए देयता	—		1,23,620
विद्यमान डीयूएस केन्द्र के लिए	3,68,629		1,93,825
नए डीयूएस केन्द्रों के लिए देयता	6,04,631		17,30,097
फ़िल्ड जीन बैंक के लिए देयता	69,560	55,90,020	—
3. प्राप्त पेशागियां			56,19,870
वार्षिक शुल्क के लिए पेशागी	1,32,000		66,000
वापसी योग्य वार्षिक शुल्क	1,18,000		70,000
पंजीकरण शुल्क के लिए पेशागी / पंजीकरण शुल्क	20,000		20,000
पीवीजे शुल्क के लिए पेशागी	30,550		18,900
निविदा के विरुद्ध धरोहर राशि	1,80,000	4,80,550	2,30,000
4. एकत्रित व्याज जो बकाया नहीं था			
क. सुरक्षित ऋण / उधारियां	—		—
ख. असुरक्षित ऋण / उधारियां	—	—	—
5. वैधानिक देयताएं			
क. ओवरड्रू	—		—
ख. अन्य			
टीडीएस	2,06,200		2,35,416
नई पेशन योजना	1,52,851		1,36,647

जारी है...

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष		
लाइसेंस शुल्क	4,829		3,487	
जीपीएफ	82,790		81,482	
जीपीएफ ऋण 2	25,000		—	
सीपीएफ	—		—	
व्यवसाय कर	208		208	
अन्य	5,203		5,933	
एचबीए	7,558		7,558	
सीजीएचएस	325		325	
सीजीईजीआईएस	2,675	4,87,639	2,585	4,73,641
6. अन्य चालू देयताएं				
सीपीएफ निधि लेखा	—		—	
डीयूएस परीक्षण शुल्क के लिए देयता	3,17,67,500	3,17,67,500	3,17,67,500	3,17,67,500
योग (क)		3,83,25,709		3,82,65,911
ख प्रावधान				
1. कर के लिए		—		—
2. ग्रेच्युटी के लिए		12,33,264		8,94,587
3. सेवानिवृत्ति पेंशन		—		—
4. संचयी छुट्टी नकदीकरण		17,03,829		11,79,989
5. व्यापार वारंटियाँ/दावे		—		—
6. संस्थाओं को अनुदान के व्यय के लिये		96,00,000		—
7. प्रशिक्षण, जागरूकता के कार्यक्रमों से संबंधी व्ययों के लिये		63,50,000		—
योग (ख)		1,88,87,093		20,74,576
महा योग (क + ख)		5,72,12,802		4,03,40,487

भारत सरकार प्रधान
आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

अनुसूची-8 : अचल सम्पत्तियाँ

वित्त वर्ष 2013-14 का वार्षिक लेखा

राशि (रुपयों में)

विवरण	सकल ब्लॉक			मूल्यांकन			निवल ब्लॉक		
	वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान अंतरी/आवधि क्राति	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन	जैसा कि वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्यांकन	जैसा कि वर्ष के दौरान अंत में लागत/मूल्यांकन	इम्प्रेसेट क्राति	वर्ष के दौरान कटारी	वर्ष के अंत तक योग अंत में	चाल वर्ष के अंत तक योग अंत में
क. अचल सम्पत्तियाँ									
1. भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क. फीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. पटेदारी पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ईमारत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क. फीहोल्ड जमीन पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. पटेदारी जमीन पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. स्वामित्व फलेट /परिसर घ, सीमा क्षेत्र से इतर भूमि पर संरचनाएँ	-	-	13,44,654	2,64,311	1,08,034	-	-	3,72,345	9,72,309
3. संयंत्र मशीनरी व उपकरण	28,70,247	-	28,70,247	10,97,370	2,65,932	-	-	13,63,302	15,06,945
4. गाहन	4,43,383	-	-	4,43,383	3,35,315	16,210	-	3,51,525	91,858
5. फर्मीचर, फिल्चर	30,25,907	98,202	-	31,24,109	7,75,689	2,34,650	-	10,10,339	21,13,771
6. कार्यालय उपकरण	15,20,392	1,03,109	-	16,23,500	3,03,691	1,27,672	-	4,31,363	11,92,137
7. कम्प्यूटर / समबद्ध उपकरण	1,52,74,263	8,80,213	-	1,61,54,477	1,24,55,190	19,63,917	-	1,44,19,107	17,35,370
8. पुस्तकालय में पुस्तकें	22,39,247	91,080	-	23,30,327	22,39,247	91,080	-	23,30,327	-
9. नलकूप तथा जलापूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य अचल सम्पत्तियाँ/साफटवेयर/सीडी	9,56,148	-	-	9,56,148	3,82,383	3,44,259	-	7,26,642	2,29,506
चाल वर्ष का योग	2,76,74,241	11,72,604	-	2,88,46,845	1,78,53,194	31,51,754	-	2,10,04,948	78,41,897
पिछले वर्ष	2,12,03,696	69,62,137	4,91,592	2,76,74,241	1,47,54,455	35,53,531	4,84,792	1,78,53,194	98,21,047
ख. चाल पूंजीगत कार्य योग									64,49,241
									1,78,38,219
									2,56,80,116
									2,76,59,266

आर.आर. प्रधान

प्रमाणी (विज)

पो.कि.कृ.अं.सं. प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्पलैवस

नई दिल्ली-110012

2।८९

आर.आर. हैचिनाल

अध्यक्ष

पो.कि.कृ.अं.सं. प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्पलैवस
नई दिल्ली-110012

आर.आर. प्रधान

प्रमाणी

प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्पलैवस
नई दिल्ली-110012

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची-9 : निर्धारित / स्थायी निधि से निवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-	-
3. शेयरों में	-	-
4. डिबेंचरों तथा बाण्डों में	-	-
5. उप स्थापनाओं व संयुक्त क्रियाकलापों में	-	-
6. अन्य में (स्पष्ट करें)	-	-
योग	-	-
अनुसूची-10 : निवेश – अन्य		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-	-
3. शेयरों में	-	-
4. डिबेंचरों तथा बाण्डों में	-	-
5. उप स्थापनाओं व संयुक्त क्रियाकलापों में	-	-
6. अन्य में (स्पष्ट करें)	-	-
योग	-	-

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष		
अनुसूची-11 : चालू परिसम्पत्तियां, ऋण तथा पेशगियां				
<u>क. चालू परिसम्पत्तियां</u>				
1. वस्तु—सूची				
क. भंडार एवं पुर्ज	—	—		
ख. फुटकर औजार	—	—		
ग. मौजूद स्टॉक				
तैयार माल	—	—		
चालू कार्य	—	—		
कच्चा माल	—	—		
2. छोटे ऋण				
क. 6 माह की अवधि के बकाया ऋण	—	—		
ख अन्य	—	—		
3. मौजूद नकद शेष राशि (बैंक, ड्रॉफ्ट, उच्चांद, टिकटें)				
उच्चांद	15,000	10,000		
मौजूदा नकद राशि	—	—		
मौजूद टिकटें	61,248	76,248	1,10,595	1,20,595
4. बैंक में शेष राशि				
क. अनुसूचित बैंकों में				
चालू खातों में				
प्राधिकरण निधि	3,18,54,153	1,61,84,501		
जीन निधि	1,60,10,435	1,12,88,001		
जमा खातों में				
जीन निधि	64,79,925	59,39,193		
प्राधिकरण निधि	4,29,91,941	3,35,72,965		
बचत खातों में				
सिडिकेट बैंक (प्राधिकरण)	26,29,758	58,28,425		
एसबीआई, गुवाहाटी	14,409	17,160		
एसबीआई, रांची	2,498	14,825		
बैंक – ट्रांजिट में	34,372	10,00,17,491	3,739	7,28,48,809
ख) गैर—अनुसूचित बैंकों में				
चालू खातों में				
जमा खातों में	—	—		
बचत खातों में	—	—	—	—
योग (क)	10,00,93,739	<b">7,29,69,404</b">		

जारी है...

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष		
ख. ऋण पेशगियां तथा अन्य परिसम्पत्तियां				
1. ऋण				
क. स्टाफ को	7,000		25,000	
ख. क्रियाकलापों/उद्देश्यों से संबंधित अन्य प्रविष्टियां	-		-	
ग. अन्य, प्रधान डाकघर को पेशगी	1,00,000	1,07,000	-	25,000
2. प्राप्त मूल्य के लिए नकद या अन्य किसी रूप में वसूली योग्य पेशगियां और अन्य राशियां				-
क. पूँजी लेखे में				
प्राधिकरण भवन के लिए निर्माण के लिए पेशगी राशि	52,16,630		52,16,630	
ख. पूर्व अदायगियां				
विविध पेशगी	1,610		-	
एचसीएल इन्फो प्रणाली लिमिटेड को पेशगी	-		4,52,180	
सहारा नेट कारपोरेशन को पेशगी	-		3,03,908	
पूर्व पेशगी व्यय	1,23,700		1,92,544	
डीयूएस परीक्षण शुल्क के विरुद्ध पेशगी	77,36,500		77,00,500	
प्रशिक्षण के लिए पेशगी	1,19,72,451		65,80,043	
बाहरी पक्षों के लिए पेशगी	7,31,948		1,44,166	
नए डीयूएस परीक्षण केन्द्रों के लिए पेशगी	2,11,74,578		2,53,07,094	
संदर्भ प्रयोगशालाओं के लिए पेशगी	2,58,37,775	7,95,97,969	1,39,68,452	7,09,72,794
फील्ड जीन बैंक के लिए पेशगी	45,41,166		42,15,682	
विद्यमान डीयूएस केन्द्रों के लिए पेशगी	22,61,611		68,91,595	
ग. अन्य				
वापसी योग्य आयकर	85,559		85,559	
प्राप्त योग्य सीपीएफ	45,000		45,000	
बैंक से प्राप्त योग्य	-		600	
बैंक द्वारा गलत नामे	-		-	
राशि वसूली योग्य	960	1,31,519	-	1,31,159
3. संचित आय				
क. निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों के निवेश से	-		-	
ख. अन्य निवेश से	-		-	
ग. ऋण तथा पेशगी से	-		-	
घ. अन्य	-		-	
1) एसबीआई में एमओडी खाते पर अर्जित व्याज	14,62,261		5,93,131	
2) वसूली योग्य वार्षिक शुलक	6,26,000	20,88,261	3,98,000	9,91,131
योग (ख)		8,19,24,749		7,21,20,084
महा योग (क+ख)		18,20,18,488		14,50,89,488

आर.आर. प्रधान
आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/29
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

31 मार्च 2014 के लिए आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियां

राशि (रुपयों में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची-12 : बिक्री/सेवाओं से आय		
1. बिक्री से आय		
क. तैयार माल से बिक्री	-	-
ख. कच्चे माल से बिक्री	-	-
ग. रद्दी की बिक्री	-	-
2. सेवाओं से आय		
क. मजदूरी तथा प्रसंस्करण प्रभार	-	-
ख. व्यवसायी/परामर्शदायी सेवाएं	-	-
ग. एजेंसी कमीशन और दलाली	-	-
घ. रखरखाव सेवाएं	-	-
ड. अन्य	-	-
योग	-	-
अनुसूची-13 : ग्रांट/अनुदान (प्राधिकरण निधि)		
केन्द्र सरकार से	15,00,23,396	15,32,70,863
राज्य सरकार से	-	-
सरकारी एजेंसियों से	-	-
संस्थाओं/कल्याण निकायों से	-	-
अंतरराष्ट्रीय संगठनों से	-	-
अन्य	-	-
योग	15,00,23,396	15,32,70,863
ग्रांट/अनुदान (जीन निधि)		
प्राधिकरण निधि से योगदान	85,00,000	50,00,000
योग	85,00,000	50,00,000

क्रांति कांग्रेस प्रधान
आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/29
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची-14 : शुल्क / अंशदान (प्राधिकरण निधि)		
डीयूएस परीक्षण शुल्क	1,36,19,500	-
प्रवेश शुल्क / आवेदन शुल्क	49,72,000	29,68,400
अंशदान / पीवीजे शुल्क	47,550	56,000
संगोष्ठी / कार्यक्रम शुल्क	-	-
परामर्श शुल्क / डीयूएस शुल्क	-	-
विरोध के नोटिस के लिए शुल्क	53,000	1,48,500
डीयूएस परीक्षण शुल्क के लिए प्रभार सेवाएं	-	-
अनुदान विस्तार के लिए शुल्क	4,500	-
योग	1,86,96,550	31,72,900
शुल्क / अंशदान (जीन निधि)		
बीजों की बिक्री से हिस्सा	8,39,498	1,75,983
वार्षिक शुल्क	10,66,000	6,74,000
योग	19,05,498	8,49,983

	निर्धारित निधि से निवेश		निवेश – अन्य	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची-15 : निवेशों से आय				
1. व्याज				
क. ब्सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख. अन्य बाण्ड/डिबेंचर	-	-	-	-
2. लाभांश				
क. शेयरों पर	-	-	-	-
ख. म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य	-	-	-	-
योग	-	-	-	-
निर्धारित/अस्थायी निधियों को हस्तांतरित	-	-	-	-

क्रान्ति कानून प्रधान
आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची-16 : रायलटी, प्रकाशनों आदि से आय		
रॉयलटी से आय	—	—
प्रकाशनों से आय	—	—
अन्य	—	—
योग	—	—
अनुसूची-17 : अर्जित ब्याज (प्राधिकरण निधि)		
1. सावधि जमा पर		
अनुसूचित बैंकों से		
सावधि जमा (एसबीआई)	2,28,396	11,34,919
एमओडी लेखा (सकल) (एसबीआई)	20,55,585	6,21,600
सावधि जमा (सिंडिकेट बैंक)	21,22,977	15,72,965
सावधि जमा (बैंक ऑफ बड़ोदा)	3,48,118	—
सावधि जमा (देना)	1,43,823	—
गैर-अनुसूचित बैंक से	—	—
संस्थाओं से	—	—
अन्य	—	—
2. बचत खातों पर		
अनुसूचित बैंकों से (सिंडिकेट बैंक)	2,29,242	4,27,470
अनुसूचित बैंकों से (एसबीआई)	485	3,410
डाकघर बचत खाते से	—	—
अन्य	—	—
3. ऋण पर		
कर्मचारियों / स्टाफ से	—	—
अन्य	—	—
4. लेनदारों तथा अन्य प्राप्तकर्ताओं से प्राप्त ब्याज	55,191	56,091
5. सीपीएफ पर ब्याज	—	5,907
योग	51,83,817	38,22,363
अर्जित ब्याज (जीन निधि)		
1. सावधि जमा पर		
अनुसूचित बैंकों से (एसबीआई)	5,40,732	6,19,494
स्वीप लेखे पर अर्जित ब्याज	8,20,364	5,24,807
योग	13,61,096	11,44,301

क्रान्ति कानून प्रधान
आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची-18 : अन्य आय		
चल सम्पत्तियों की बिक्री/निपटान पर निवल लाभ	—	1,300
अनुदान से अधिगृहीत सम्पत्तियां या मुफ्त प्राप्त सम्पत्तियां	—	—
प्राप्त किए गए निर्यात प्रोत्साहन	—	—
विविध सेवाओं के लिए शुल्क	—	—
स्टाफ कार के लिए फृटकर आय	—	4,679
पुराने समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं व कवाड़ की बिक्री	2,233	18,140
वाहन बीमे के विरुद्ध दावा प्राप्ति	9,867	—
प्रकाशनों की बिक्री	17,220	—
दायिका की वापसी	6,521	—
अध्यक्ष की पेंशन से वसूली	—	2,06,757
विविध आय (अन्य)	1,176	5,693
कम्प्यूटर उपयोग के लिए वसूली	5,400	—
योग	42,417	2,36,569
अनुसूची-19 : वृद्धि / गिरावट		
अंत स्टॉक		
तैयार माल	—	—
चालू कार्य	—	—
आदि स्टॉक		
तैयार माल	—	—
चालू कार्य	—	—
निवल वृद्धि/गिरावट	—	—
अनुसूची-20 : स्थापना व्यय		
मूल वेतन	64,42,739	68,15,292
बोनस	20,724	27,632
महंगाई भत्ता/ग्रेड वेतन	13,08,926	15,69,393
कम्पोजिट स्थानांतरण अनुदान	23,311	98,330
महंगाई भत्ता	69,89,323	60,36,547
परिवहन भत्ता	9,76,377	10,73,974
नई पेंशन निधि में योगदान	6,15,193	5,83,526
सीपीएफ में नियोक्ता का योगदान	—	64,000
आवास किराया भत्ता	18,19,139	18,75,833
छुट्टी नकदीकरण	6,13,977	6,12,037
छुट्टी वेतन और पेंशन योगदान	10,11,392	10,24,765
छुट्टी यात्रा रियायत	2,92,898	2,91,729
बाल/बालिका शिक्षा भत्ता	94,642	87,649
ग्रेचुटी	3,38,677	1,86,880
मजदूरी	32,13,098	31,47,297
ठेके पर स्टाफ का वेतन	86,83,147	71,66,562
स्टाफ कल्याण व्यय	12,719	7,35,453
वेतन व भत्ते – अन्य	1,23,818	1,02,671
जीन निधि में योगदान	85,00,000	50,00,000
योग	4,10,80,100	3,64,99,570

क्रान्ति कला प्रशिक्षण
आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची-21 : अन्य प्रशासनिक व्यय आदि (प्राधिकरण)		
सिटिंग प्रभार	4,08,600	4,48,120
व्यवसायिक व्यय	9,89,710	11,42,528
बिजली तथा जल व्यय	11,35,054	11,05,177
मुद्रण तथा लेखन सामग्री	48,65,243	10,69,628
डाक खर्च, तार एवं टेलीफोन	11,60,384	13,12,292
प्राधिकरण बैठकों पर व्यय	4,87,564	8,96,305
रखरखाव व मरम्मत	8,71,490	6,66,543
समाचार पत्र में विज्ञापन	51,94,983	33,90,104
प्रदर्शनियां, कार्यशालाओं व संगोष्ठियों पर व्यय	8,58,960	12,08,821
प्रशिक्षण, जागरूकता के कार्यक्रमों पर व्यय	1,72,83,350	77,18,011
किराया, दरें और कर	3,79,511	3,60,625
सामान्य सेवा प्रभार	9,00,000	8,42,790
यात्रा व्यय – घरेलू – स्टाफ	31,93,056	24,24,087
यात्रा व्यय – घरेलू – विशेषज्ञ	23,76,879	32,51,753
बीमा	4,979	2,969
यात्रा व्यय – विदेश – स्टाफ	1,02,414	13,687
समाचार पत्र	45,538	36,910
फुटकर व्यय	57,793	2,85,981
किराया प्रभार – वाहन	12,22,269	12,37,592
किराया प्रभार – अन्य	3,35,266	9,38,032
सत्कार व्यय	1,60,788	1,07,402
योग	4,20,33,831	2,84,59,357
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि (जीन निधि)		
आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व टिकाऊ उपयोग पर व्यय	50,00,000	40,00,000
कार्यक्रम प्रबंधन पर व्यय	11,10,817	6,04,021
योग	61,10,817	46,04,021

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची-22 : अनुदानों/आर्थिक सहायता आदि पर व्यय		
संस्थाओं/संगठनों को दिए गए अनुदान	6,43,97,379	6,03,80,539
संस्थानों/संगठनों को दी गई आर्थिक सहायता	—	—
अंतरराष्ट्रीय संगठनों (आईटीपीजीआरएफए) को दिए गए योगदान	—	26,24,015
योग	6,43,97,379	6,30,04,554
अनुसूची-23 : ब्याज		
निश्चित ब्याज पर	—	—
अन्य विशिष्ट ऋण (बैंक प्रभार सहित)	407	3,632
अन्य	914	—
योग	1,321	3,632

भारत सरकार
आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

पूर्वाधिसमायोजन लेखा

राशि (रुपयों में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	नामे	जमा	शेष राशि
	<u>प्राधिकरण निधि</u>			
1.	प्रशासनिक व्यय	20,409	100	20,309
2.	प्रशिक्षण व्यय	27,82,580	—	27,82,580
3.	विद्यमान डीयूएस	20,52,037	2,21,553	18,30,484
4.	नए डीयूएस	73,16,817	—	73,16,817
5.	संदर्भ प्रयोगशालाएं	—	—	—
6.	फील्ड जीन बैंक	57,451	—	57,451
7.	मियादी जमा पर ब्याज	25,000	—	25,000
	योग	1,22,54,294	2,21,653	1,20,32,641

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हरचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

विद्यमान डीयूएस केन्द्रों से प्राप्य राशि के ब्यौरे दर्शने वाला विवरण

राशि (रुपयों में)

क्र. सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	01.04.2013 को आदिशेष	2012–13 के दौरान व्यय	01.04.2013 को संशोधित शेष	2013–14 के दौरान कुल जारी	अन्य केन्द्रों से/को हस्तांतरित	2013–14 के दौरान व्यय	31.03.2014 को अंत शेष
1.	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट	4,50,000	3,26,369	1,23,631	4,01,369	–	–	5,25,000
2.	आचार्य एन जी रंगा विश्वविद्यालय, हैदराबाद	-32,482	–	-32,482	8,11,072	–	–	7,78,590
3.	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	5,50,540	–	5,50,540	6,71,932	–	–	12,22,472
4.	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कैसरगोड (सीपीसीआरआई), कर्ल	1,75,275	–	1,75,275	4,74,725	–	5,66,655	83,345
5.	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (सीपीसीआरआई) शिमला	2,95,216	–	2,95,216	6,00,000	–	–	8,95,216
6.	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक	3,78,781	–	3,78,781	9,27,219	-3,00,000	7,46,852	2,59,148
7.	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर	2,97,588	–	2,97,588	9,52,412	–	–	12,50,000
8.	केन्द्रीय औषधीय एवं सर्गाधीय पादप संस्थान, लखनऊ	67,008	–	67,008	7,32,992	–	6,93,196	1,06,804
9.	केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ	5,25,065	4,41,055	84,010	3,00,000	–	–	3,84,010
10.	केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर	1,70,832	–	1,70,832	5,00,000	–	2,57,905	4,12,927
11.	केन्द्रीय जूट एवं सम्बद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर एवं सीएसआरएस, बुदबुद	3,60,307	–	3,60,307	7,24,000	–	5,29,990	5,54,317
12.	चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	2,00,057	–	2,00,057	5,24,943	–	–	7,25,000
13.	औषधीय एवं सर्गाधीय पादप अनुसंधान निदेशालय, आनंद	38,218	–	38,218	6,61,782	–	6,98,274	1,726

जारी है...

क्रान्ति कला प्रशिक्षण
आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/29
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. कृषिकाल
आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

क्र. सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	01.04.2013 को आविशेष	2012–13 के दौरान व्यय	01.04.2013 को संशोधित शेष	2013–14 के दौरान कुल जारी	अन्य केन्द्रों से/को हस्तांतरित	2013–14 के दौरान व्यय	31.03.2014 को अंत शेष
14.	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर	98,006	—	98,006	6,09,994	—	6,56,722	51,278
15.	राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान, त्रिची	4,04,774	—	4,04,774	3,00,000	—	—	7,04,774
16.	सोयाबीन निदेशालय, इंदौर	2,08,375	—	2,08,375	3,00,000	—	4,07,026	1,01,349
17.	तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	1,086	—	1,086	8,26,814	—	7,84,014	43,886
18.	चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	3,58,973	—	3,58,973	7,43,732	—	10,93,605	9,100
19.	ज्वार अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	1,39,586	—	1,39,586	10,25,414	—	—	11,65,000
20.	पुष्पविज्ञान निदेशालय, आईएआरआई, नई दिल्ली	23,060	—	23,060	4,00,000	—	2,98,765	1,24,295
21.	गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल	43,683	—	43,683	12,31,317	—	8,61,958	4,13,042
22.	गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल	2,62,454	—	2,62,454	—	—	—	2,62,454
23.	गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	7,453	-8,450	15,903	5,17,547	—	3,34,039	1,99,411
24.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, सब्जी विज्ञान संभाग, नई दिल्ली	—	—	—	5,00,000	—	—	5,00,000
25.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, सब्जी विज्ञान संभाग, नई दिल्ली	14,914	—	14,914	5,00,000	—	—	5,14,914
26.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पुष्पविज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण संभाग, नई दिल्ली	3,77,582	3,76,816	766	2,00,000	—	—	2,00,766
27.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, सीआईएच, बीकानेर	—	—	—	4,00,000	—	—	4,00,000
28.	आईआईएचआर, हेसरगट्टा, बंगलुरु (शोभाकारी फसलें)	51,971	—	51,971	5,48,029	—	5,01,376	98,624

जारी है...

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

क्र. सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	01.04.2013 को आदिशेष	2012–13 के दौरान व्यय	01.04.2013 को संशोधित शेष	2013–14 के दौरान कुल जारी	अन्य केन्द्रों से/को हस्तांतरित	2013–14 के दौरान व्यय	31.03.2014 को अंत शेष
29.	बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु	7,45,709	—	7,45,709	12,89,291	—	11,66,618	8,68,382
30.	भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर	1,09,365	—	1,09,365	4,72,635	—	1,64,935	4,17,065
31.	भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर	5,00,000	—	5,00,000	1,00,000	—	2,66,450	3,33,550
32.	भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट	47,754	—	47,754	11,52,246	—	9,48,528	2,51,472
33.	भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी	3,83,093	—	3,83,093	11,50,000	—	11,89,058	344,035
34.	भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी	87,416	—	87,416	10,62,584	—	6,51,782	4,98,218
35.	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	49,236	—	49,236	5,93,707	—	5,79,797	63,146
36.	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़	3,11,602	—	3,11,602	3,62,500	—	3,62,011	3,12,091
37.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	93,461	49,989	43,472	4,06,539	—	2,65,894	1,84,117
38.	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिशूर	6,17,500	—	6,17,500	—	—	—	6,17,500
39.	परियोजना समन्वयक (बाजरा), आरएयू (बीकानेर)	3,49,922	—	3,49,922	7,50,000	—	9,79,577	1,20,345
40.	महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय, राहुड़ी	3,06,794	—	3,06,794	9,10,000	—	8,28,127	3,88,667
41.	महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय, राहुड़ी (पुणे केन्द्र)	4,51,000	—	4,51,000	2,00,000	—	—	6,51,000
42.	आचार्य नरेन्द्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फेजाबाद	2,03,682	—	2,03,682	2,00,000	—	3,13,111	90,571
43.	राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र	6,76,505	—	6,76,505	2,00,000	—	7,35,755	1,40,750
44.	राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र, सिविकम	69,177	—	69,177	7,30,823	—	—	8,00,000

जारी है...

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

क्र. सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	01.04.2013 को आदिशेष	2012–13 के दौरान व्यय	01.04.2013 को संशोधित शेष	2013–14 के दौरान कुल जारी	अन्य केन्द्रों से/को हस्तांतरित	2013–14 के दौरान व्यय	31.03.2014 को अंत शेष
45.	मूँगफली अनुसंधान निदेशालय, जूनागढ़	10,236	—	10,236	5,39,764	—	3,04,530	2,45,470
46.	प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय, राजगुरुलनगर	64,129	—	64,129	4,85,871	—	3,49,397	2,00,603
47.	राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केन्द्र, सोलापुर	—	—	—	—	—	—	—
48.	तोरिया एवं सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर	14,813	-1,95,397	2,10,210	5,85,961	—	5,05,869	2,90,302
49.	राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र, अजमेर	53,854	—	53,854	7,00,000	—	—	7,53,854
50.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	62,407	—	62,407	8,25,093	—	8,69,614	17,886
51.	परियोजना समन्वयक (कपास), सीआईसीआर क्षेत्रीय केन्द्र, कोयम्बतूर	4,22,268	—	4,22,268	12,50,000	—	—	16,72,268
52.	सीएसएयू और टी परियोजना समन्वयक (अलसी), कानपुर	38,701	—	38,701	4,23,193	—	—	4,61,894
53.	परियोजना समन्वयक, जेएनएकेवीवी, तिल एवं नाइजर, जबलपुर	11,691	—	11,691	6,88,309	—	6,38,649	61,351
54.	पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय, अकोला	80,231	80,723	-492	5,12,000	—	—	5,11,508
55.	क्षेत्रीय केन्द्र, भा.कृ.आ.सं., इंदौर	1,89,417	—	1,89,417	5,00,000	—	2,97,605	3,91,812
56.	क्षेत्रीय केन्द्र, भा.कृ.आ.सं. करनाल	1,44,674	-17,706	1,62,380	3,68,820	—	3,72,667	1,58,533
57.	क्षेत्रीय केन्द्र, भा.कृ.आ.सं., कटराई	1,29,676	—	1,29,676	4,32,824	—	3,40,308	2,22,192
58.	राज्य वन अनुसंधान संस्थान, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	1,60,034	—	1,60,034	1,50,000	—	—	3,10,034
59.	गन्ना प्रजनन संस्थान, अगाली	66,383	—	66,383	3,50,000	—	1,27,486	2,88,897
60.	गन्ना प्रजनन संस्थान, करनाल	81,767	—	81,767	3,50,000	—	—	4,31,767

जारी है...

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.आ.सं. प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.आ.सं. प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.आ.सं. प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

क्र. सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	01.04.2013 को आदिशेष	2012–13 के दौरान व्यय	01.04.2013 को संशोधित शेष	2013–14 के दौरान कुल जारी	अन्य केन्द्रों से/को हस्तांतरित	2013–14 के दौरान व्यय	31.03.2014 को अंत शेष
61.	गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बतूर	1,13,576	—	1,13,576	5,50,000	—	99,926	5,63,650
62.	विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा	1,29,488	—	1,29,488	3,83,012	—	4,24,309	88,191
63.	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर	16,55,291	7,77,085	8,78,206	2,21,000	—	—	10,99,206
योग		1,38,99,174	18,30,484	1,20,68,690	3,52,81,465	-3,00,000	2,12,12,380	2,58,37,775

क्रान्ति कानून प्रधान
आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

विद्यमान डीयूएस केन्द्रों को देय राशि के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

राशि (रुपयों में)

क्र. सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	आंतरिक हस्तांतरण	2012–13 के दौरान व्यय	01.04.2013 को संशोधित शेष	2013–14 के दौरान जारी राशि	अन्य केन्द्र से/को हस्तांतरित	2013–14 के दौरान व्यय	अंत शेष
1.	राष्ट्रीय नींब अनुसंधान केन्द्र, नागपुर	-1,61,002	–	-1,61,002	7,61,002	–	7,48,252	1,48,252
2.	मक्का अनुसंधान निदेशालय, नई दिल्ली	-341	–	-341	16,40,000	–	16,94,717	55,058
3.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड	36,796	–	36,796	17,03,204	–	19,05,319	1,65,319
योग		-1,24,547	–	-1,24,547	41,04,206	–	43,48,288	3,68,629

क्रान्ति कला प्रशिक्षण
आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/29
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. कृष्णनाथ
आर.आर. हरचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

नये डीयूएस केन्द्रों से प्राप्य राशि के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

राशि (रुपयों में)

क्र. सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	01.04.2013 को आदि शेष	अन्य केन्द्रों को/से हस्तांतरित	2012-13 के दौरान व्यय	01.04.2013 को संशोधित शेष	अर्जित ब्याज	वर्ष 2013-14 के दौरान कुल जारी	2013-14 के दौरान व्यय	31.03.2014 को अंत शेष
1.	कृषि एवं खाद्य उत्पादन, भुवनेश्वर	7,32,000	–	7,32,000	–	–	8,48,200	–	8,48,200
2.	बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी	3,43,390	–	–	3,43,390	–	1,06,610	3,84,180	65,820
3.	बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी	2,25,186	–	–	2,25,186	–	1,49,814	2,78,260	96,740
4.	बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी	1,67,000	–	–	1,67,000	–	2,83,000	–	4,50,000
5.	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर	1,62,000	–	–	1,62,000	–	4,00,000	4,55,172	1,06,828
6.	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान	6,72,585	–	–	6,72,585	–	1,00,000	4,03,569	3,69,016
7.	केन्द्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान, बीकानेर	2,15,000	–	82,212	1,32,788	–	3,42,212	–	4,75,000
8.	केन्द्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान, बीकानेर	9,05,500	–	1,57,684	7,47,816	–	1,00,000	4,90,527	3,57,289
9.	केन्द्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान, बीकानेर	6,97,000	–	–	6,97,000	–	–	6,73,003	23,997
10.	केन्द्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान, बीकानेर	1,28,000	–	–	1,28,000	–	2,00,000	–	3,28,000

जारी है...

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

क्र. सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	01.04.2013 को आदि शेष	अन्य केन्द्रों को/से हस्तांतरित	2012–13 के दौरान व्यय	01.04.2013 को संशोधित शेष	अर्जित ब्याज	वर्ष 2013–14 के दौरान कुल जारी	2013–14 के दौरान व्यय	31.03.2014 को अंत शेष
11.	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	—	—	—	—	—	3,25,000	—	3,25,000
12.	केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर	6,83,593	—	—	6,83,593	—	2,00,000	—	8,83,593
13.	केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर	8,04,065	20,00,000	20,00,000	8,04,065	—	2,00,000	6,97,439	3,06,626
14.	केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान	2,37,517	—	—	2,37,517	—	2,00,000	3,35,730	1,01,787
15.	केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान	—	—	—	—	—	2,00,000	—	2,00,000
16.	केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	3,30,429	—	—	3,30,429	—	2,00,000	4,41,863	88,566
17.	केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर	3,30,737	—	4,29,341	-98,604	—	4,00,000	2,24,335	77,061
18.	डॉ. वाई एस परमार वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	8,25,750	—	—	8,25,750	—	3,00,000	—	11,25,750
19.	डॉ. बी. एस. कोंकण कृषि विश्वविद्यालय, घपोली	7,00,000	—	—	7,00,000	—	—	6,15,651	84,349
20.	डॉ. वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	5,53,000	—	—	5,53,000	—	3,00,000	3,26,883	5,26,117
21.	पी. सी. (लघु मोटे अनाज) कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय	3,05,259	—	616	3,04,643	—	8,20,000	—	11,24,643
22.	आचार्य एन जी रंग कृषि विश्वविद्यालय	3,32,000	—	1,73,338	1,58,662	—	3,42,000	—	5,00,662

जारी है...

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

क्र. सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	01.04.2013 को आदि शेष	अन्य केन्द्रों को/से हस्तांतरित	2012-13 के दौरान व्यय	01.04.2013 को संशोधित शेष	अर्जित ब्याज	वर्ष 2013-14 के दौरान कुल जारी	2013-14 के दौरान व्यय	31.03.2014 को अंत शेष
23.	केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम	7,337	—	—	7,337	—	1,00,000	78,679	28,658
24.	केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, भुवनेश्वर	4,17,642	—	—	4,17,642	—	7,92,663	—	12,10,305
25.	केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम	2,10,824	—	—	2,10,824	—	2,00,000	2,81,300	1,29,524
26.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	1,00,780	—	—	1,00,780	—	2,00,000	—	3,00,780
27.	पुष्पविज्ञान अनुसंधान निदेशालय, भा. कृ.अ.प. परिसर, नई दिल्ली	1,79,176	—	—	1,79,176	—	1,00,000	—	2,79,176
28.	केन्द्रीय रेशम पालन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	5,00,000	—	—	5,00,000	—	2,00,000	—	7,00,000
29.	भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान	14,14,334	—	—	14,14,334	—	—	6,84,114	7,30,220
30.	हिमालय वन अनुसंधान संस्थान, शिमला	1,26,353	—	—	1,26,353	—	2,00,000	1,34,649	1,91,704
31.	वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट	8,97,920	—	9,16,333	-18,413	33,031	8,65,902	5,45,842	3,34,678
32.	आनुवंशिक संभाग, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली	35,026	—	—	35,026	—	—	—	35,026
33.	डीडब्ल्यूआर, करनाल, जौ	—	—	—	—	—	1,00,000	—	1,00,000
34.	एफ सी आर आई, कोयम्बतूर (टीएनएयू)	3,59,259	—	—	3,59,259	—	—	—	3,59,259

जारी है...

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

क्र. सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	01.04.2013 को आदि शेष	अन्य केन्द्रों को/से हस्तांतरित	2012–13 के दौरान व्यय	01.04.2013 को संशोधित शेष	अर्जित ब्याज	वर्ष 2013–14 के दौरान कुल जारी	2013–14 के दौरान व्यय	31.03.2014 को अंत शेष
35.	गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	4,27,711	—	—	4,27,711	—	2,00,000	4,55,065	1,72,646
36.	पुष्पविज्ञान प्रभाग, भा.कृ.अ.सं.	5,05,000	—	4,50,637	54,363	—	5,91,461	2,49,315	3,96,509
37.	सब्जी विज्ञान संभाग, भा.कृ.अ.सं.	—	—	—	—	—	2,00,000	—	2,00,000
38.	सब्जी विज्ञान संभाग, भा.कृ.अ.सं.,	3,34,956	—	—	3,34,956	—	1,00,000	—	4,34,956
39.	सब्जी विज्ञान संभाग, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली	1,71,490	—	—	1,71,490	—	2,03,510	—	3,75,000
40.	पुष्पविज्ञान प्रभाग, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली	38,385	—	—	38,385	—	4,73,230	4,49,877	61,738
41.	एन ई एच के लिए भा.कृ.अ.सं., अनुसंधान परिसर	73,861	—	1,83,215	-1,09,354	—	3,52,800	—	2,43,446
42.	वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान	8,13,000	—	—	8,13,000	20,484	3,00,000	7,74,564	3,58,920
43.	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान –	—	—	—	—	—	7,50,000	3,87,644	3,62,356
44.	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान –	1,27,572	—	—	1,27,572	—	6,22,428	4,19,886	3,30,114
45.	भारतीय बागसानी अनुसंधान संस्थान	4,41,747	—	—	4,41,747	—	2,00,000	4,11,819	2,29,928
46.	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु	4,64,034	—	—	4,64,034	—	2,00,000	5,64,034	1,00,000
47.	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान	6,75,159	—	—	6,75,159	—	1,00,000	2,89,399	4,85,760

जारी है...

आर.आर. प्रधान
आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

क्र. सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	01.04.2013 को आदि शेष	अन्य केन्द्रों को/से हस्तांतरित	2012-13 के दौरान व्यय	01.04.2013 को संशोधित शेष	अर्जित ब्याज	वर्ष 2013-14 के दौरान कुल जारी	2013-14 के दौरान व्यय	31.03.2014 को अंत शेष
48.	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान	4,28,000	—	—	4,28,000	—	1,00,000	2,91,959	2,36,041
49.	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान	96,998	—	—	96,998	—	5,03,002	4,70,649	1,29,351
50.	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान	90,067	—	—	90,067	—	4,09,333	4,85,524	13,876
51.	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान	47,142	—	—	47,142	—	4,24,358	4,19,762	51,738
52.	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान	3,30,170	—	—	3,30,170	—	2,00,000	3,60,887	1,69,283
53.	आई आई एस आर, काजीकोट	2,40,771	—	—	2,40,771	—	—	—	2,40,771
54.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय	10,32,000	—	7,78,241	2,53,759	—	2,42,000	—	4,95,759
55.	के ए यू त्रिशूर, ऑर्किड	—	—	—	—	—	4,00,000	—	4,00,000
56.	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन व्यूरो	6,75,556	—	1,28,984	5,46,572	—	1,00,000	6,25,018	21,554
57.	क्षेत्रीय केन्द्र, अकोला, एन बी पी जी आर	1,19,048	—	45,319	73,729	—	2,01,271	78,957	1,96,043
58.	एनडीयू ए और टी, फैजाबाद, जौ	—	—	—	—	—	1,00,000	—	1,00,000
59.	एन आर सी पी बी, सोलापुर	3,67,021	—	—	3,67,021	—	4,50,000	2,98,222	5,18,799
60.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	1,12,274	—	—	1,12,274	—	2,00,000	2,86,400	25,874
61.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	9,184	—	—	9,184	—	—	—	9,184

जारी है...

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

क्र. सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	01.04.2013 को आदि शेष	अन्य केन्द्रों को/से हस्तांतरित	2012–13 के दौरान व्यय	01.04.2013 को संशोधित शेष	अर्जित ब्याज	वर्ष 2013–14 के दौरान कुल जारी	2013–14 के दौरान व्यय	31.03.2014 को अंत शेष
62.	एस डी कृषि विश्वविद्यालय	6,18,479	—	—	6,18,479	—	—	—	6,18,479
63.	एस एफ आर आई, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, ऑर्किङ्ड	—	—	—	—	—	1,00,000	—	1,00,000
64.	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर	2,08,625	—	20,265	1,88,360	—	1,00,000	2,68,491	19,869
65.	टी एन ए यू, हैदराबाद	4,15,000	—	2,32,730	1,82,270	—	—	—	1,82,270
66.	सी आर आर आई, कटक (आनुवंशिक विविधता)	—	6,70,500	4,77,815	1,92,685	—	6,61,000	5,61,285	2,92,400
67.	बनधाई नागापटनम	1,23,298	—	1,23,298	—	—	—	—	—
68.	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु	-12,956	—	—	-12,956	—	6,00,000	4,29,608	1,57,436
69.	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर	-1,87,240	—	—	-1,87,240	—	5,62,240	2,72,101	1,02,899
70.	एन बी पी जी आर, क्षेत्रीय केन्द्र, फागली — अनाज	-5,819	—	—	-5,819	—	2,80,819	1,27,663	1,47,337
71.	सी आई एस एच, लखनऊ (बेल)	-17,646	—	—	-17,646	—	2,50,000	1,52,486	79,868
72.	जीन अभियान, नई दिल्ली (एमपीकेवी)	—	—	—	—	—	2,50,000	—	2,50,000
योग		2,23,61,549	26,70,500	69,32,028	1,81,00,021	53,515	1,92,02,853	1,61,81,811	2,11,74,578

आर.आर. प्रधान
आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

नये डीयूएस केन्द्रों को देय राशि को दर्शाने वाला विवरण

राशि (रुपयों में)

क्र. सं.	नए डीयूएस केन्द्र का नाम	01.04.2013 को आदि शेष	अन्य केन्द्रों को/से हस्तांतरण	2012-13 के दौरान व्यय	01.04.2013 को संशोधित शेष	अर्जित ब्याज	2013-14 के दौरान जारी कुल राशि	2013-14 के दौरान व्यय	31.03.2014 को अंत शेष
1.	निदेशक, केन्द्रीय शुष्क बागवानी संरथान	24,63,843	-20,00,000	-	4,63,843	-	4,82,157	9,82,526	36,526
2.	वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संरथान, कोयम्बतूर	2,52,032	-	3,84,789	-1,32,757	1,676	2,00,000	1,95,767	1,26,848
3.	भारतीय बागवानी अनुसंधान संरथान	-	-	-	-	-	3,25,000	3,88,547	63,547
4.	राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान अनुसंधान संरथान	6,009	-	-	6,009	-	5,68,991	5,79,785	4,785
5.	एन बी आर आई, लखनऊ (बोगेनवीलिया)	-2,24,551	-	-	-2,24,551	-	5,50,000	5,29,338	2,03,889
6.	एन बी आर आई, लखनऊ (ग्लेडियोलस किस्में)	-25,763	-	-	-25,763	-	6,25,000	6,19,574	20,337
7.	टोककाली प्रायोगिक अनुसंधान केन्द्र, जोरहट	-6,72,120	-	-	-6,72,120	-	6,60,885	-	11,235
8.	सी आई टी एच, श्रीनगर	-4,53,462	-	-	-4,53,462	-	4,46,538	-	6,924
9.	भारतीय पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संरथान	-16,457	-	-	-16,457	-	-	-	16,457
10.	जीन अभियान, नई दिल्ली	-1,14,083	-	-	-1,14,083	-	-	-	1,14,083
योग		12,15,448	-20,00,000	3,84,789	-11,69,341	1,676	38,58,571	32,95,537	6,04,631

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

संदर्भ प्रयोगशालाओं से प्राप्य राशि को दर्शाने वाला विवरण

राशि (रुपयों में)

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	01.04.2013 को आदि शेष	अन्य केन्द्रों को/से हस्तांतरण	2012–13 के दौरान व्यय	01.04.2013 को संशोधित शेष	2013 के दौरान जारी कुल राशि	2013–14 के दौरान व्यय	31.03.2014 बो अंत शेष
1.	एन बी पी जी आर (जैव रसायनविज्ञानी परीक्षण), नई दिल्ली	6,38,234	—	—	6,38,234	—	5,56,256	81,978
2.	सी आर आर आई, कटक	3,73,246	-3,70,500	—	2,746	11,83,254	11,36,286	49,714
3.	एन आर सी पी बी, नई दिल्ली	2,09,719	—	—	2,09,719	—	—	2,09,719
4.	भा कृ.अ.प. इकाई, सी आई सी आर, नागपुर	18,00,000	—	—	18,00,000	—	12,30,616	5,69,384
5.	परियोजना निदेशक, डी ओ आर, हैदराबाद	22,00,396	—	—	22,00,396	—	20,53,451	1,46,945
6.	निदेशक, आई आई एच आर, बंगलुरु	6,70,000	—	—	6,70,000	—	4,66,129	2,03,871
7.	परियोजना निदेशक, डी एम आर, नई दिल्ली	10,00,000	—	—	10,00,000	—	—	10,00,000
योग		68,91,595	-3,70,500	—	65,21,095	11,83,254	54,42,738	22,61,611

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

जीन बैंक तथा फील्ड जीन बैंक से प्राप्य राशि को दर्शाने वाला विवरण

राशि (रुपयों में)

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	01.04.2013 को आदि शेष	अन्य केन्द्रों को/से हस्तांतरण	2012-13 के दौरान व्यय	01.04.2013 को संशोधित शेष	01.04.2013 को जारी राशि	2013-14 के दौरान व्यय	31.03.2014 को अंत शेष
1.	डॉ. बाला साहेब कौकण कृषि विद्यापीठ	26,532	—	—	26,532	16,00,000	15,79,840	46,692
2.	सी ए जैड आर आई	35,61,597	—	—	35,61,597	3,00,000	10,36,963	28,24,634
3.	डॉ वाई एस परमार बागवानी एवं वन विश्वविद्यालय	53,351	—	57,451	-4,100	10,50,000	—	10,45,900
4.	एन बी पी जी आर	3,19,489	—	—	3,19,489	9,80,000	6,75,549	6,23,940
योग		39,60,969	—	57,451	39,03,518	39,30,000	32,92,352	45,41,166

भारत सरकार
आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित)
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

जीन बैंक तथा फील्ड जीन बैंक को देय राशि को दर्शाने वाला विवरण

राशि (रुपयों में)

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	01.04.2013 को आदि शेष	अन्य केन्द्रों को/से हस्तांतरण	2012–13 के दौरान व्यय	2012–13 के दौरान व्यय	01.04.2013 को संशोधित शेष	2013–14 के दौरान व्यय	31.03.2014 को अंत शेष
1.	बी ए यू	2,54,713	—	—	2,54,713	7,00,000	10,24,273	69,560
	योग	2,54,713	—	—	2,54,713	7,00,000	10,24,273	69,560

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

प्रशिक्षण केन्द्रों को पेशगियां

राशि (रुपयों में)

क्र. सं.	लाभार्थी का नाम	01.04.2013 को आदि शेष	2012–13 के दौरान व्यय	01.04.2013 को संशोधित शेष	अंतः/वाह्य हस्तांतरण	2013–14 के दौरान जारी राशि	वापसी	2013–14 के दौरान व्यय	31.03.2014 को अंत शेष
1.	आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, अंगारु	1,249	—	1,249	—	1,58,751	—	80,000	80,000
2.	अपर निदेशक (एफसी), कृषि विभाग, सिविकम 136 / 15	—	—	—	—	80,000	—	—	80,000
3.	आनंद कृषि विश्वविद्यालय, गुजरात (36 / 15)	—	—	—	—	80,000	—	—	80,000
4.	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट, एरम्बु	3,20,000	3,20,000	—	—	4,80,000	—	80,000	4,00,000
5.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (136 / 15) (बीएचयू)	—	—	—	—	1,60,000	—	—	1,60,000
6.	विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी, बीसीकेवी	80,000	80,000	—	—	80,000	—	78,946	1,054
7.	विरसा कृषि विश्वविद्यालय, (136 / 15) भागलपुर	—	—	—	—	3,20,000	—	1,60,000	1,60,000
8.	विरसा कृषि विश्वविद्यालय, (136 / 15) रांची	60,000	60,000	—	—	3,20,000	—	1,40,583	1,79,417
9.	बी एम एस प्रशिक्षण संस्थान	—	—	—	—	80,000	—	80,000	—
10.	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट लंबर, सी ए आर आई	18,325	—	18,325	—	3,01,675	—	—	3,20,000
11.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, मणिपुर, सी ए यू	—	—	—	—	80,000	—	—	80,000
12.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल (136 / 15)	—	—	—	—	80,000	—	80,000	—
13.	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, कोयम्बतूर, सीआईसीआर	80,000	15,000	65,000	—	—	—	25,400	39,600
14.	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर, सीआईसीआर	4,00,000	2,40,000	1,60,000	—	—	—	—	1,60,000
15.	केन्द्रीय औषधीय एवं सर्गांधित पौधा संस्थान, लखनऊ, सीआईएमएपी	80,000	80,000	—	—	—	—	—	—
16.	केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास संस्थान	—	—	—	—	80,000	—	80,000	—
17.	सी ई ओ, ग्रामीण विकास ट्रस्ट नोएडा (136 / 15)	—	—	—	—	80,000	—	75,200	4,800
18.	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, सीसीएसएचएयू	1,60,000	1,60,000	—	—	80,000	—	—	80,000

जारी है...

कृषि कला प्रशिक्षण
आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/29
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

क्र. सं.	लाभार्थी का नाम	01.04.2013 को आदि शेष	2012–13 के दौरान व्यय	01.04.2013 को संशोधित शेष	अंतः/वाह्य हस्तांतरण	2013–14 के दौरान जारी राशि	वापरी	2013–14 के दौरान व्यय	31.03.2014 को अंत शेष
19.	नियंत्रक, बीएसके केवी, धपोली (136/15)	—	—	—	—	1,60,000	—	80,000	80,000
20.	नियंत्रक, च. एस के के विश्वविद्यालय, पालमपुर (136/15)	—	—	—	—	4,00,000	—	80,000	3,20,000
21.	नियंत्रक, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद (136/15)	—	—	—	—	1,60,000	—	45,299	1,14,701
22.	नियंत्रक, आर ए यू, बीकानेर (136/15)	—	—	—	—	1,60,000	—	—	1,60,000
23.	नियंत्रक, एस एफ आर आई, अरुणाचल प्रदेश	80,000	80,000	—	—	—	—	—	—
24.	नियंत्रक, एस के यू एस टी, राजौरी, जम्मू	80,000	—	80,000	—	5,60,000	—	2,21,121	4,18,879
25.	नियंत्रक, वी एम एम के वी, महाराष्ट्र	—	—	—	—	80,000	—	—	80,000
26.	नियंत्रक, सी के वी, चंडीगढ़ (136/15)	—	—	—	—	80,000	—	—	80,000
27.	नियंत्रक, आई जी के वी, रायपुर	40,551	—	40,551	—	—	—	—	40,551
28.	नियंत्रक, आई जी के वी वी, रायपुर (136/15)	—	—	—	—	8,00,000	—	1,60,000	6,40,000
29.	नियंत्रक, जे एंड के वी वी, जबलपुर (136/15)	—	—	—	—	4,80,000	—	2,17,739	2,62,261
30.	नियंत्रक, के वी ए और एफ एस यू, बिदर	—	—	—	—	80,000	—	79,254	746
31.	नियंत्रक, एम पी यू ए और टी, उदयपुर	—	—	—	—	1,60,000	—	1,59,970	30
32.	नियंत्रक, एस वी वी पी यू ए और टी, मेरठ (136/15)	—	—	—	—	80,000	—	80,000	—
33.	नियंत्रक, एस डी ए यू (136/15)	—	—	—	—	80,000	—	80,000	—
34.	नियंत्रक, शेरे कश्मीर ए एस टी विश्वविद्यालय, जम्मू	26,485	—	26,485	—	—	26,485	—	—
35.	नियंत्रक, शेरे कश्मीर ए एस टी विश्वविद्यालय, श्रीनगर	1,80,000	—	1,80,000	—	—	—	—	1,80,000
36.	नियंत्रक, टी एन यू वी और ए एस, चैन्नई (136/15)	—	—	—	—	80,000	—	80,000	—
37.	नियंत्रक, यू ए एस, रायपुर	80,000	—	80,000	—	2,40,000	—	1,60,000	1,60,000
38.	नियंत्रक, वी वी यू पश्चिम बंगाल (136/15)	—	—	—	—	80,000	—	—	80,000
39.	नियंत्रक, एस के आर ए यू, बीकानेर	1,10,160	32,285	77,875	—	—	—	—	77,875
40.	सी पी सी आर आई, केरल (136/15)	—	—	—	—	80,000	—	80,000	—

जारी है...

क्रान्ति कला प्रशिक्षण
आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

क्र. सं.	लाभार्थी का नाम	01.04.2013 को आदि शेष	2012-13 के दौरान व्यय	01.04.2013 को संशोधित शेष	अंतः/वाह्य हस्तांतरण	2013-14 के दौरान जारी राशि	वापसी	2013-14 के दौरान व्यय	31.03.2014 को अंत शेष
41.	सी आर यू ए एफ, बैरकपुर	80,000	80,000	-	-	80,000	-	78,750	1,250
42.	सी आर आर आई, कटक	10,000	10,000	-	-	80,000	-	-	80,000
43.	सी एस ए यू और टी, कानपुर	-	-	-	-	1,60,000	-	-	1,60,000
44.	सी एस के एच पी के वी	4,00,000	240,000	1,60,000	-	-	-	80,000	80,000
45.	डीन अनुसंधान, ओ यू ए टी	65,000	-	65,000	-	-	65,000	-	-
46.	दीन दयाल अनुसंधान संस्थान, चित्रकूट (136/15)	-	-	-	-	3,20,000	-	3,19,978	22
47.	निदेशक, कृषि निदेशालय, मेघालय (136/15)	-	-	-	-	2,40,000	-	1,60,000	80,000
48.	निदेशक, सी पी आर आई, शिमला, मोदीपुरम	80,000	54,302	25,698	-	-	25,698	-	-
49.	कृषि में महिलाओं पर निदेशालय, भुवनेश्वर (136/15)	-	-	-	-	80,000	-	55,000	25,000
50.	निदेशक, डी एस आर, इंदौर (136/15)	-	-	-	-	80,000	-	63,577	16,423
51.	निदेशक, हॉलीक्रास वी टी आई, हजारीबाग (136/14)	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
52.	निदेशक, भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर - गोआ	-	-	-	-	1,60,000	-	1,35,000	25,000
53.	निदेशक, कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, झांसी (136/15)	-	-	-	-	80,000	-	50,940	29,060
54.	निदेशक, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र, त्रिपुरा (136/14)	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
55.	राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र (136/15)	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
56.	निदेशक, एन आर सी एस एस, अजमेर (136/14)	-	-	-	-	80,000	1,000	79,000	-
57.	निदेशक, बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण (136/15)	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
58.	निदेशक, वी पी के ए एस, अल्मोड़ा	1,60,000	64,050	95,950	-	1,60,000	15,950	-	2,40,000
59.	निदेशक, काजू अनुसंधान निदेशालय, दक्षिण कन्नड	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
60.	निदेशक, काजरी, जोधपुर	1,15,729	-	1,15,729	-	1,60,000	35,729	75,000	1,65,000
61.	निदेशक, सी आई ए एच, बीकानेर	11,660	-	11,660	-	80,000	24,211	67,449	-
62.	निदेशक, सी आई एस एच, लखनऊ	80,000	-	80,000	-	80,000	-	48,830	1,11,170
63.	निदेशक, सी आई टी एच, श्रीनगर	45,007	-	45,007	-	1,94,993	-	-	2,40,000

जारी है...

भारत सरकार प्रधान
आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आई.कृ.कृ.कृ.कृ.
आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

क्र. सं.	लाभार्थी का नाम	01.04.2013 को आदि शेष	2012–13 के दौरान व्यय	01.04.2013 को संशोधित शेष	अंतः/वाह्य हस्तांतरण	2013–14 के दौरान जारी राशि	वापरी	2013–14 के दौरान व्यय	31.03.2014 को अंत शेष
64.	निदेशक, सी एम एफ आर आई, कोच्चि	—	—	—	—	80,000	—	80,000	—
65.	निदेशक, क्रीड़ा परिसर, हैदराबाद (136 / 15)	—	—	—	—	80,000	—	80,000	—
66.	निदेशक, सी टी सी आर आई, त्रिवेन्द्रम	1,11,064	—	1,11,064	—	80,000	—	67,762	1,23,302
67.	निदेशक, कृषि विभाग, मिजोरम (136 / 15)	—	—	—	—	1,60,000	—	80,000	80,000
68.	निदेशक, कृषि विभाग, नागालैंड (136 / 15)	—	—	—	—	1,60,000	—	1,60,000	—
69.	निदेशक, अरुणाचल प्रदेश कृषि निदेशालय, (136 / 15)	—	—	—	—	1,60,000	—	1,60,000	—
70.	निदेशक, एन ई एच के लिए भा.कृ.अ. प. बड़ापानी	21,322	21,322	—	—	—	—	—	—
71.	निदेशक, भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, बड़ापानी	—	—	—	—	3,20,000	—	3,20,000	—
72.	निदेशक, आई आई वी आर, वाराणसी	—	—	—	54,646	—	54,646	—	—
73.	निदेशक, एन बी पी जी आर, नई दिल्ली (136 / 15)	—	—	—	—	80,000	—	79,968	32
74.	निदेशक, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र (136 / 15)	—	—	—	—	80,000	—	—	80,000
75.	निदेशक, कृषि एवं खाद्य उत्पाद, भुवनेश्वर, ओडिशा	60,000	60,000	—	—	—	—	—	—
76.	निदेशक कृषि पुरुचेरी	—	—	—	—	80,000	—	45,000	35,000
77.	निदेशक, सी पी सी आर आई, कैसरगोड (136 / 15)	—	—	—	—	80,000	—	—	80,000
78.	निदेशक, कृषि निदेशालय, गोआ	—	—	—	—	80,000	—	—	80,000
79.	निदेशक, भा.कृ.अ.प. परिसर, ओल्ड गोआ (136 / 15)	—	—	—	—	80,000	—	69,950	10,050
80.	निदेशक, आई सी ए आर, आरसी, एन ई एच.क्षेत्र उनियम, मेघालय	—	—	—	—	7,20,000	—	1,60,000	5,60,000
81.	निदेशक, आई आई ए वी, रांची (136 / 15)	—	—	—	—	80,000	—	79,122	878
82.	निदेशक, आई आई एच आर, बुगलुरु (136 / 15)	—	—	—	—	80,000	—	80,000	—
83.	निदेशक, आई आई पी आर, कानपुर चना	80,000	1,607	78,393	—	—	78,393	—	—
84.	निदेशक, आई आई पी आर, कानपुर, मुलार्प	80,000	80,000	—	—	—	—	—	—

जारी है...

क्रान्ति कानून प्रधान
आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आई.कृषिकाल
आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

क्र. सं.	लाभार्थी का नाम	01.04.2013 को आदि शेष	2012-13 के दौरान व्यय	01.04.2013 को संशोधित शेष	अंतः/वाह्य हस्तांतरण	2013-14 के दौरान जारी राशि	वापसी	2013-14 के दौरान व्यय	31.03.2014 को अंत शेष
85.	निदेशक, आई आई एस आर, कालीकट (136/15)	—	—	—	—	80,000	—	65,372	14,628
86.	निदेशक, एम एस आर एफ, चैन्सई	1	—	1	—	1,60,000	—	1,60,000	1
87.	निदेशक, राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केन्द्र, मेजदीफेमा (136/15)	—	—	—	—	80,000	—	—	80,000
88.	निदेशक, अनुसंधान, सी एच आई ए पी एस, इलाहाबाद (136/15)	—	—	—	—	80,000	—	80,000	—
89.	निदेशक, डी एम आर, भरतपुर	20,950	—	20,950	—	80,000	20,950	79,919	81
90.	निदेशक, आई ए आर आई, केवीके गुडगांव	374	—	374	—	—	374	—	—
91.	निदेशक, आई ए आर आई, नई दिल्ली	1,13,378	—	1,13,378	—	—	9,375	—	1,04,003
92.	मूँगफली अनुसंधान निदेशालय, जूनागढ़, गुजरात	5,985	—	5,985	—	—	—	—	5,985
93.	ओषधीय एवं सर्गांशीय पौधा अनुसंधान निदेशालय	39,112	—	39,112	—	1,20,888	—	—	1,60,000
94.	तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	99,137	—	99,137	—	—	19,137	71,560	8,440
95.	प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय, राजगुरुनगर, पुणे	92,837	—	92,837	—	—	—	73,499	19,338
96.	डी डब्ल्यू आर, करनाल	866	—	866	—	80,000	25,374	55,492	—
97.	पूर्व कूलपति, पश्चिम बंगाल, सी ए डी सी, कोलकाता (136/15)	—	—	—	—	80,000	—	80,000	—
98.	एफ आर आई, देहरादून (136/15)	—	—	—	—	1,60,000	—	—	1,60,000
99.	गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	80,000	49,111	30,889	—	2,40,000	—	76,348	1,94,541
100.	अध्यक्ष, सी एच ई एस, वैजलपुर, गोधरा	80,000	78,795	1,205	—	—	1,205	—	—
101.	आई सी ए आर अनुसंधान पटना (136/15)	—	—	—	—	80,000	—	80,000	—
102.	आई सी ए आर इकाई, डी एस आर, हैदराबाद	1,60,000	73,927	86,073	—	80,000	—	1,43,776	22,297
103.	आई सी ए आर इकाई, एन आर सी पी, सोलापुर (136/15)	—	—	—	—	80,000	104	79,896	—
104.	आई जी एफ आर आई, झासी (136/15)	—	—	—	—	80,000	—	—	80,000
105.	आई आई एच आर, बंगलुरु, शोभाकारी फसल प्रभाग	1,60,000	—	1,60,000	—	—	—	—	1,60,000

जारी है...

क्रान्ति कला प्रशिक्षण
आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

क्र. सं.	लाभार्थी का नाम	01.04.2013 को आदि शेष	2012–13 के दौरान व्यय	01.04.2013 को संशोधित शेष	अंतः/वाह्य हस्तांतरण	2013–14 के दौरान जारी राशि	वापरी	2013–14 के दौरान व्यय	31.03.2014 को अंत शेष
106.	आई आई एच आर, बंगलुरु, सब्जी फसल प्रभाग	2,66,629	83,825	1,82,804	—	—	26,272	—	1,56,532
107.	आई आई पी आर, कानपुर	1,06,266	1,06,266	—	—	—	—	—	—
108.	आई आई एस आर, कालोकट	19,778	—	19,778	—	—	4,405	—	15,373
109.	आई आई एस आर लखनऊ (136/15)	—	—	—	—	1,60,000	—	1,60,000	—
110.	आई आई वी आर, वाराणसी	1,02,516	—	1,02,516	—	80,000	—	1,80,270	2,246
111.	जे ए यू, जूनागढ़	33,929	—	33,929	—	80,000	33,929	38,608	41,392
112.	संयुक्त निदेशक, भा.कृ.अ.प. का एन ई एच के लिए अनुसंधान परिसर, त्रिपुरा	—	—	—	—	80,000	—	80,000	—
113.	कर्नाटक राज्य बीज निगम लिमिटेड, (136/15)	—	—	—	—	1,60,000	—	1,60,000	—
114.	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिशूर, केरल	1,07,406	57,600	49,806	—	3,20,000	—	80,000	2,89,806
115.	मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वादा, एनएसकेजेयूएटी	—	—	—	—	—	—	—	—
116.	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, एम ए यू	60,000	—	60,000	—	—	—	—	60,000
117.	एम पी के वी, राहुड़ी	2,273	—	2,273	—	80,000	—	—	82,273
118.	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद (136/15) एन डी ए यू टी	—	—	—	—	1,60,000	—	—	1,60,000
119.	नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, एन डी	18,480	—	18,480	—	—	18,480	—	—
120.	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड	35,144	—	35,144	—	1,24,856	—	1,60,000	—
121.	एन ए यू, नवसारी, गुजरात (136/15)	—	—	—	—	1,60,000	—	78,850	81,150
122.	एन आर सी, सिटस	16,537	—	16,537	—	80,000	—	80,000	16,537
123.	एन आर सी, सोयाबीन	1,79,461	—	1,79,461	—	—	1,79,461	—	—
124.	एन आर सी – ऑर्किड, सिकिम	91,930	—	91,930	—	80,000	52,980	—	1,18,950
125.	ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर (136/15), ओयूएटी	—	—	—	—	4,00,000	—	78,800	3,21,200
126.	पीडी, डी एस आर, मउ, उत्तर प्रदेश (136/15)	—	—	—	—	80,000	—	80,000	—
127.	पी ए यू, लुधियाना	1,60,000	1,22,849	37,151	—	—	37,151	—	—

जारी है...

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

क्र. सं.	लाभार्थी का नाम	01.04.2013 को आदि शेष	2012-13 के दौरान व्यय	01.04.2013 को संशोधित शेष	अंतः/वाह्य हस्तांतरण	2013-14 के दौरान जारी राशि	वापसी	2013-14 के दौरान व्यय	31.03.2014 को अंत शेष
128.	पी डी, डीडब्ल्यूआर, (136 / 15)	-	-	-	-	80,000	25,485	54,515	-
129.	पी डी के बी, अकोला	1,20,000	-	1,20,000	-	80,000	-	-	2,00,000
130.	प्रधान निदेशक, खाद्य सुरक्षा एवं कृषि विकास विभाग, तदर्रोग	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
131.	कार्यक्रम समन्वयक, आर ए एस एस ए आर के बी के, चिंतूर (136 / 15)	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
132.	कार्यक्रम समन्वयक, के बी के, पश्चिम मिदनापुर	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
133.	कार्यक्रम समन्वयक, के बी के, पुलकोटी, कर्नाटक (136 / 15)	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
134.	कार्यक्रम समन्वयक, के बी के, शारदानगर, बारामती (136 / 15)	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
135.	कार्यक्रम समन्वयक, के बी के, अहमदनगर (136 / 15)	-	-	-	-	80,000	10,783	69,217	-
136.	कार्यक्रम समन्वयक, के बी के, अमरावती (136 / 15)	-	-	-	-	80,000	-	49,938	30,062
137.	कार्यक्रम समन्वयक, के बी के, जालना (136 / 15)	-	-	-	-	80,000	-	78,946	1,054
138.	कार्यक्रम समन्वयक, के बी के, धलाई (136 / 15)	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
139.	कार्यक्रम समन्वयक, के बी के, इरोड, तमिल नाडु	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
140.	कार्यक्रम समन्वयक, के बी के, इदुवकी, केरल (136 / 15)	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
141.	कार्यक्रम समन्वयक, के बी के जयपुर (136 / 15)	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
142.	कार्यक्रम समन्वयक, के बी के कुरनूल	-	-	-	-	80,000	424	79,576	-
143.	कार्यक्रम समन्वयक, के बी के, सुप्तार, कर्नाटक	-	-	-	-	80,000	82	79,918	-
144.	कार्यक्रम समन्वयक, केवीके, तिरुवल्ला, केरल (136 / 15)	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
145.	कार्यक्रम समन्वयक, केवीके, उदयपुर (136 / 15)	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
146.	कार्यक्रम समन्वयक, केवीके, विवेकानन्दपुरम, (136 / 15)	-	-	-	-	80,000	-	78,578	1,422
147.	कार्यक्रम समन्वयक, के बी के, पश्चिम त्रिपुरा (136 / 15)	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-

जारी है...

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

क्र. सं.	लाभार्थी का नाम	01.04.2013 को आदि शेष	2012–13 के दौरान व्यय	01.04.2013 को संशोधित शेष	अंतः/वाह्य हस्तांतरण	2013–14 के दौरान जारी राशि	वापसी	2013–14 के दौरान व्यय	31.03.2014 को अंत शेष
148.	कार्यक्रम समन्वयक, यू. पी. ए.एस आई – के बी के, नीलगिरी, तमिल नाडु	–	–	–	–	80,000	–	80,000	–
149.	कार्यक्रम समन्वयक, के बी के, मजगांव, सतना (136 / 15)	–	–	–	–	80,000	–	80,000	–
150.	परियोजना निदेशक, पुष्पविज्ञान निदेशालय, आई ए आर आई, नई दिल्ली (136 / 15)	–	–	–	–	80,000	–	–	80,000
151.	परियोजना समन्वयक, के बी के, जमकुटा (136 / 15)	–	–	–	–	80,000	–	80,000	–
152.	परियोजना निदेशक, डी.एम.आर, नई दिल्ली	2,40,000	1,61,641	78,359	–	–	–	–	78,359
153.	परियोजना निदेशक, डी.एम.आर, हैदराबाद	3,20,000	–	3,20,000	–	80,000	–	–	4,00,000
154.	राजा दिनेश सिंह के बी के, प्रतापगढ़, (136 / 15)	–	–	–	–	80,000	–	80,000	–
155.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, आर ए यू	60,000	60,000	–	–	–	–	–	–
156.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर, आर ए यू	–	–	–	–	1,60,000	–	1,60,000	–
157.	राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विद्यालय, ग्वालियर, आर बी एस के बीबी	–	–	–	–	2,40,000	–	80,000	1,60,000
158.	राम कृष्ण आश्रम, दक्षिण 24 परगना (136 / 15)	–	–	–	–	80,000	–	80,000	–
159.	आर ए यू. पूसा, एस बी आई कोयम्बतूर	–	–	–	–	80,000	–	–	80,000
160.	एस बी आई कोयम्बतूर	28,836	–	28,836	–	–	28,836	–	–
161.	सचिव, राम कृष्ण मिशन आश्रम, रांची (136 / 15)	–	–	–	–	80,000	–	80,000	–
162.	सचिव, विकास भारती, गुमला (136 / 15)	–	–	–	–	80,000	–	80,000	–
163.	सचिव, एफ बी सी के, बंगलुरु	–	–	–	–	80,000	–	80,000	–
164.	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर, टीएनएरप्पू	3,20,000	240,000	80,000	–	3,20,000	–	3,99,950	50
165.	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	1,606	–	1,606	–	–	–	–	1,606
166.	टक्कोली प्रायोगिक अनुसंधान केन्द्र, जोरहट	–	–	–	–	80,000	–	80,000	–
167.	यू.ए और एच एस, शिमोगा, कर्नाटक (136 / 15)	–	–	–	–	80,000	–	71,119	8,881

जारी है...

कार्यक्रम प्रधान
आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

क्र. सं.	लाभार्थी का नाम	01.04.2013 को आदि शेष	2012-13 के दौरान व्यय	01.04.2013 को संशोधित शेष	अंतः/वाह्य हस्तांतरण	2013-14 के दौरान जारी राशि	वापसी	2013-14 के दौरान व्यय	31.03.2014 को अंत शेष
168.	यू.ए.एस, बंगलुरु (136/15)	-	-	-	-	80,000	-	66,569	13,431
169.	यू.ए.एस, धारवाड वानिकी महाविद्यालय, सिरसी (136/15)	-	-	-	-	80,000	-	56,736	23,264
170.	यू.ए.एस, जी.वी.के.वी	-	-	-	-	6,40,000	-	6,40,000	-
171.	यू.वी.के.वी, कूच विहार, पश्चिम बंगाल (136/15)	-	-	-	-	2,40,000	-	80,000	1,60,000
172.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड	1,60,060	70,000	90,060	-	4,00,000	-	66,450	4,23,610
173.	यू.यू.एच और एफ, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड (136/15)	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
174.	डब्ल्यू.वी.यू.ए.ओ.एफ.एस, कोलकाता (136/15)	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
175.	वाई.एस.पी.यू.एच और एफ	80,000	-	80,000	-	2,40,000	-	66,162	2,53,838
176.	वाई.एस.आर.बागवानी विश्वविद्यालय, आंनंग प्रदेश (136/15)	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
177.	आंचलिक परियोजना निदेशालय, अंचल 8, बंगलुरु	-	-	-	-	20,000	5,552	14,448	-
योग		65,80,043	27,82,580	37,97,463	54,646	1,98,81,163	8,27,471	1,09,33,350	1,19,72,451

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

बाहरी संस्थाओं को पेशागियां

राशि (रुपयों में)

क्र. सं.	लाभार्थी का नाम	01.04.2013 को आदि शेष	अंतः/बाह्य हस्तांतरण	पूर्व वर्ष का व्यय	वर्ष 2013–14 के दौरान जारी राशि	2013–14 के दौरान व्यय	31.03.2014 को अंत शेष
1.	अग्रगामी हैंडीकैप समिति	—	—	—	8,000	8,000	—
2.	सैंटर फार इनोवेशन इन साइंस एंड सोशल एक्शन	25,000	—	25,000	—	—	—
3.	निदेशक, एन आर सी, ज्वार	36,000	-36,000	—	—	—	—
4.	निदेशक, आई आई वी आर, वाराणसी	54,646	-54,646	—	—	—	—
5.	वित्त नियंत्रक, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	—	—	—	8,000	8,000	—
6.	एच सी एल इन्फो सिस्टम लिमिटेड	—	4,52,180	—	—	4,52,180	—
7.	भा.कृ.अ.प. आंचलिक परियोजना निदेशालय, अंचल कोलकाता	—	—	—	50,000	50,000	—
8.	मैसर्स प्रोफेशनल बुक पब्लिशर्स	—	—	—	8,450	8,450	—
9.	श्री पार्थसारथी	28,000	—	—	—	—	28,000
10.	एन एस एफ आई ग्लोबल एग्रीकनेक्ट 2011	—	—	—	1,00,000	1,00,000	—
11.	सहारा नेट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ	—	3,03,908	—	—	—	3,03,908
12.	सचिव, भा.कृ.अ.प., नई दिल्ली	—	—	—	62,500	42,500	20,000
13.	स्वामी पब्लिशर्स	520	—	—	—	520	—
14.	यू ए एस, बंगलुरु	—	—	—	3,30,000	—	3,30,000
15.	यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी प्रा. लि.	—	—	—	9,100	9,100	—
16.	जैड पी डी, भा.कृ.अ.प. इकाई, अंचल-8, जबलपुर, मध्य प्रदेश	—	—	—	50,000	49,960	40
17.	जैड पी डी, अंचल 3, भा.कृ.अ.प. उमियम, मेघालय	—	—	—	50,000	—	50,000
योग		1,44,166	6,65,442	25,000	6,76,050	7,28,710	7,31,948

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

स्टाफ को पेशगियां

राशि (रुपयों में)

क्र. सं.	लाभार्थी का नाम	वर्ष के दौरान पेशगी राशि
1.	रवि रमण प्रधान/डी डी ओ	10,75,959
2.	मनोज श्रीवास्तव	8,62,500
3.	तेजबीर सिंह	2,96,100
4.	रवि प्रकाश	4,40,000
5.	डी एस मिश्रा	1,02,000
6.	धर्मेन्द्र सिंह पिलानिया	6,000
7.	अजय कुमार सिंह, गुवाहाटी	28,710
8.	डी एस राजगोपेश	2,000
9.	आर सी अग्रवाल	1,04,215
10.	याम नारायण प्रसाद	10,000
11.	उमा कांत दुबे, रांची	10,000
योग		29,37,484

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

अदा की गई वैधानिक देयताएं

राशि (रुपयों में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
1.	सी जी ई जी आई एस	29,640
2.	सी जी एच एस	3,900
3.	जी पी एफ, 108 / 02	9,57,426
4.	जी पी एफ ऋण 1	58,800
5.	जी पी एफ ऋण 2	2,50,000
6.	एच बी ए	90,696
7.	लाइसेंस शुल्क	33,862
8.	टी डी एस, विज्ञापन	1,838
9.	टी डी एस, ठेकेदार	3,79,990
10.	टी डी एस, व्यावसायिक	1,36,616
11.	टी डी एस, वेतन	17,46,885
12.	एन पी एस	6,06,943
13.	अन्य, 109 / 04	730
14.	अन्य 108 / 12	58,436
15.	व्यवसाय कर	2,496
योग		43,58,258

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

प्रशिक्षण केन्द्रों से पेशगी की वापसी

राशि (रुपयों में)

क्र. सं.	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	वापस की गई राशि
1.	नियंत्रक, शेरे कश्मीर ए एस टी, विश्वविद्यालय, जम्मू	26,485
2.	डीन, अनुसंधान, ओयूएटी	65,000
3.	निदेशक, सी पी आई, शिमला, मोदीपुरम शिमला	25,698
4.	निदेशक, एन आर सी एस, अजमेर (136 / 14)	1,000
5.	निदेशक, बी पी के ए एस, अल्मोड़ा	15,950
6.	निदेशक, काजरी, जोधपुर	35,729
7.	निदेशक, सी आई ए एच, बीकानेर	24,211
8.	निदेशक, आई आई पी आर, कानपुर, चना	78,393
9.	निदेशक, डी आर एम आर, भरतपुर	20,950
10.	निदेशक, आई ए आर आई – के वी के गुडगांव	374
11.	निदेशक, आई ए आर आई, नई दिल्ली	9,375
12.	तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	19,137
13.	डी डब्ल्यू आर, करनाल	25,374
14.	अध्यक्ष, सी एच ई एस, बेजलपुर, गोधारा	1,205
15.	भा.कृ.अ.प. इकाई, एन आर सी पी, सोलापुर (136 / 15)	104
16.	आई आई एच आर, बंगलुरु – सब्जी फसल प्रभाग	26,272
17.	आई आई एस आर, कालीकट	4,405
18.	जे ए यू जूनागढ़	33,929
19.	नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय – एन डी	18,480
20.	एन आर सी – सोयाबीन	1,79,461
21.	एन आर सी – ऑर्किड, सिविकम	52,980
22.	पी ए यू लुधियाना	37,151
23.	परियोजना निदेशक, डी डब्ल्यू आर, करनाल (136 / 15)	25,485
24.	कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, अहमदनगर (136 / 15)	10,783
25.	कार्यक्रम समन्वयक, केवीके, कुरनूल (136 / 15)	424
26.	कार्यक्रम समन्वयक, के वी के, सुप्तार, कर्नाटक	82
27.	एस बी आई, कोयम्बतूर	28,836
28.	आंचलिक परियोजना निदेशालय, अंचल-8, बंगलुरु	5,552
29.	आई आई वी आर, वाराणसी	54,646
योग		8,27,471

क्रान्ति काला प्रधान
आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82

आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

स्टाफ से पेशगी की वापसी

राशि (रुपयों में)

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	प्राप्त राशि
1.	रवी रमण प्रधान / डीडीओ	90,501
2.	मनोज श्रीवास्तव	1,71,547
3.	तेजबीर सिंह	37,897
4.	रवि प्रकाश	1,09,416
5.	डी एस मिश्रा	11,637
6.	धर्मन्द्र सिंह पिलानिया	1,748
7.	अजय कुमार सिंह – गुवाहाटी	175
8.	डी एस राजगणेश	1,000
9.	आर सी अग्रवाल	3,301
योग		4,27,222

भारत सरकार
प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

अनुसूची 24

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए पीपीवी और एफआरए की प्रमुख लेखा नीतियां

1. लेखाकरण प्रणाली

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अनुसार सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखाकरण प्रणाली के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं जो भारत के सनदी लेखाकारों के संस्थान या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी अनिवार्य लेखा मानकों के संदर्भ में लागू होते हैं तथा लेखा महानियंत्रक द्वारा निर्धारित केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के लिए प्रस्तुत करने आवश्यक हैं। प्राधिकरण आय व व्यय की सभी मदों के संबंध में लेखे की निर्धारित विधियों को अपनाती है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

2. अचल सम्पत्तियां

- क) अचल सम्पत्तियों को उचित निरीक्षण के पश्चात् लेखा पुस्तकों में लिया जाता है।
- ख) अचल सम्पत्तियों की लागत कुल मूल्यद्वास को घटा कर लगाई जाती है। लागत में खरीद मूल्य, मालभाड़ा, शुल्क तथा कर और कोई भी प्रत्यक्ष ऐसी लागत आती है जो परिसम्पत्तियों को लाने में लगी हो या उसे कार्यशील बनाने में व्यय की गई हो। अचल सम्पत्तियों को अधिग्रहीत करने/उनके निर्माण से संबंधित वित्तीय लागत को भी इस प्रकार शामिल किया जाता है कि वे उस अवधि से संबंधित हो जिस अवधि तक परिसम्पत्तियां अपने अपेक्षित उपयोग के लिए तैयार होती हों।
- ग) गैर-आर्थिक अनुदानों से प्राप्त अचल सम्पत्तियों का पूंजीकरण पूंजी आरक्षण में नामे किए गए मूल्य पर किया जाता है। निशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त की गई अचल सम्पत्तियों को 1 रुपये के नामात्र मूल्य पर लेखाकृत किया जाता है।

3. मूल्यद्वास

- क) मूल्यद्वास का प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 में घटते हुए मूल्य के आधार पर निर्धारित दरों पर किया जाता है।
- ख) 5000 रुपये और इससे कम की लागत वाली अचल सम्पत्तियों की प्रत्येक मद को उनके अधिग्रहण के वर्ष में पूर्णतः मूल्यद्वासित मान लिया जाता है।

4. पट्टेदारी

पट्टेदारी किराए पट्टेदारी की शर्तों के अनुसार अदा किए जाते हैं।

5. परिसम्पत्तियों की क्षति

परिसम्पत्तियों में क्षति तब मानी जाती है जब परिसम्पत्तियों की लागत उनकी वसूली मूल्य से अधिक हो जाती है। यह क्षति उस वर्ष के आय व व्यय के विवरण में दर्ज की जाती है जिस वर्ष परिसम्पत्ति को क्षतिग्रस्त पहचाना जाता है। क्षति संबंधी हानि को लेखा अवधि से पहले पहचाना जाता है और इसे अनुमानित या वसूली योग्य राशि के प्रभार के रूप में दर्ज किया जाता है।

जारी है...

भारत क्रान्ति प्रधान
आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/४२
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. कृष्णन
आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

6. फुटकर व्यय

आगे लाया गया राजस्व व्यय, जिस वर्ष हुआ है उस वर्ष से पांच वर्ष की अवधि के बाद बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

7. सरकारी अनुदान/योगदान

- (क) एकमुश्त अनुदान सहायता पूंजी या राजस्व और वेतन के रूप में होने वाले सरकारी व्यय को पूरा करने के लिए भारत सरकार से प्राप्त होती है। अनुदान सहायता से सृजित द्वासशील परिसम्पत्तियों की लागत को 'कॉर्पस/पूंजीगत निधि' में नामे किया जाता है। उन परिसम्पत्तियों पर भी मूल्यद्वास कॉर्पस/पूंजीगत निधि के विरुद्ध लिया जाता है जो उस परिसम्पत्ति के उपयोगी जीवन के समाप्त होने के बाद होते हैं तथा इन्हें आय तथा व्यय लेखे में आय के अंतर्गत रखा जाता है। राजस्व व्यय से अधिक अनुदान की शेष राशि को वर्ष के अंत में कॉर्पस/पूंजी निधि में हस्तांतरित किया जाता है। डीयूएस केन्द्रों तथा अन्य को अनुदान सहायता/अनुदान सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद दिए जाते हैं तथा निर्धारित फार्मेट में लेखापरीक्षित प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद उन्हें पेशगी के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है। ये प्रमाण पत्र संबंधित डीयूएस केन्द्रों/अन्य से प्राप्त होने चाहिए। वास्तविक व्यय को डीयूएस केन्द्रों/अन्य लेखों के अंतर्गत अनुदान सहायता में नामे किया जाता है जो अग्रिम लेखे के रूप में होता है तथा पेशगी की शेष बची राशि वर्ष के अंतिम दिन अनप्रयुक्त अनुदान के रूप में बनी रहती है।
- (ख) जिन मामलों में केन्द्र उपयोग प्रमाण पत्र, लेखों को अंतिम रूप देने के पश्चात् उसके पूर्व के वर्षों के लिये प्रस्तुत करता है, उन मामलों में व्यय को किये गये प्रावधान से समायोजन किया जाता है और यदि कोई प्रावधान नहीं है तो इसे पूर्ववधि समायोजन लेखा के रूप में लेखाकृत किया जाता है।
- (ग) यदि वास्तविक व्यय की गई राशि अदा की गई पेशगी राशि से अधिक है, प्राप्त उपयोग प्रमाण—पत्र के आधार पर व्यय की गई अतिरिक्त राशि के लिए आवश्यक दायिता सृजित की जाती है और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से राशि जारी की जाती है यदि इस प्रकार किए गए अतिरिक्त व्यय को तर्कसंगत नहीं पाया गया तो सृजित दायिता को वापस ले लिया जाता है।

8. विदेशी मुद्रा लेन—देन

विदेशी मुद्रा संबंधी लेन—देन को उनकी मौजूदा विनिमय दर पर रिकॉर्ड किया जाता है।

9. सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ

- क) नई पेशन योजना के वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा अदा किए गए/अदा किए जाने वाले योगदानों को आय और व्यय के विवरण में दर्ज किया जाता है।
- ख) ग्रेच्युटी संबंधी दायिताओं को वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है और इसे वार्षिक रूप से निर्धारित किया जाता है।
- ग) कर्मचारियों को छुट्टी नकदीकरण के लिए दी जाने वाली देयता वास्तविक आधार पर प्रतिवर्ष निर्धारित की जाती है जो वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित होती है।

जारी है...

भारत सरकार प्रधान
आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/४२
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

10. कर-निर्धारण

पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 91 के अंतर्गत प्राधिकरण को अपनी संपत्ति, आय, लाभ या प्राप्तियों के लिए किसी प्रकार का संपत्ति कर, आय कर या अन्य कोई कर अदा करने की आवश्यकता नहीं है।

11. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पत्तियां

किसी नाप में अनुमान की पर्याप्त मात्रा से संबंधित प्रावधानों को तब लागू किया जाता है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान में ऐसा करना आवश्यक हो और यह संभावना व्यक्त की गई हो कि संसाधन खर्च हो सकते हैं। आकस्मिक देयताओं को पहचाना नहीं जाता है बल्कि लेखे के एक भाग के रूप में टिप्पणियों में दर्ज किया जाता है। आकस्मिक परिसम्पत्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो पहचाना जाता है और न ही उनका खुलासा किया जाता है।

12. आय और व्यय

इस पैराग्राफ के अंत में बताए गए विवरण के अतिरिक्त, वर्ष के सभी आय और व्यय को वास्तविक आधार पर लेखे के विशिष्ट और प्रत्यक्ष शीर्षकों में दर्ज किया जाता है।

- क) पिछले वर्षों के ऐसे आय अथवा व्यय जो प्रावधान करने/देयता सृजित करने में हुई एक या इससे अधिक पूर्व अवधियों के दौरान हुई त्रुटियों या गलतियों के परिणामस्वरूप हुए हों, इन्हें 'पूर्व अवधि समायोजन' लेखे के अंतर्गत दर्ज किया जाता है।
- ख) यदि वास्तविक व्यय अथवा आय अनुमानित आधार पर किए गए सृजित देयता/प्रावधान से अधिक हो जाते हैं तो उन्हें नकद आधार पर दर्ज किया जाता है।
- ग) प्राधिकरण द्वारा वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देने के बाद की तिथि में लिए गए निर्णय के कारण और किसी अति विशिष्ट मद पर हुए आय/व्यय को, यदि कोई है तो तकालीन प्रभाव से नकद आधार पर दर्ज किया जाता है।
- घ) तुलन-पत्र और अथवा आय व व्यय के लेखे में लेखा व्यवहार का पता लगाने और मद के खुलासे की विधि को बताने में भौतिकता की संकल्पना पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। अतः 1000 रुपये तक की प्रत्येक मद के लिए पहले से अदा किए गए/पूर्व अवधि को नकद आधार पर लेखे के प्राकृतिक शीर्षों में दर्ज किया जाता है।

13. राजस्व पहचान

- क) आवेदन/पंजीकरण हेतु शुल्क, समय बढ़ाने तथा किसी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठन से विरोध संबंधी और योगदान संबंधी नोटिस के लिए दिया जाने वाला समय तथा उससे होने वाली आय को प्राप्ति के अंतर्गत दर्शाया जाता है।
- ख) (i) वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान तथा उसके बाद प्राप्त डीयूएस परीक्षण शुल्क को उस वर्ष में प्राधिकरण की आय माना जाएगा जिस वर्ष यह प्राप्त होती है।
(ii) 2008–09 से 2012–13 की अवधि में प्राप्त डीयूएस परीक्षण शुल्क तथा अदा की गई अग्रिम राशि को और संबंधित डीयूएस परीक्षण केन्द्र को अदा की गई 50 प्रतिशत अग्रिम राशि को जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र तथा तथा प्रत्येक मामले में अब तक प्राप्त की गई रिपोर्ट के आधार पर प्राप्त डीयूएस परीक्षण शुल्क के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा और अग्रिम

जारी है...

क्रान्ति कानून प्रधान
आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/४२
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

राशि की शेष बची 50 प्रतिशत राशि को संबंधित डीयूएस केन्द्रों को देने की बजाय प्राधिकरण की आय माना जाएगा। इसके साथ ही प्राप्त किए गए कुल डीयूएस परीक्षण शुल्क में प्राधिकरण के 30 प्रतिशत हिस्से को भी आय माना जाएगा। जिन मामलों में परीक्षण रिपोर्ट न प्राप्त हुई हो वहां राशि को परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर समायोजित किया जाएगा।

- ग) प्रजनकों से लाभ में भागीदारी और क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त की गई राशि को देयता के रूप में माना जाता है जो दावेदारों को देय दायिता के रूप में तब माना जाता है जब ऐसी राशि प्राप्त होती है।
- घ) पेशगी प्राप्त किया गया पीवीजे का चंदा अगले वित्तीय वर्ष में पूर्व अदा किए गए लेखे के रूप में दर्ज किया जाता है।
- ड.) व्याज से हुई आय को बकाया राशि तथा लागू दरों के अनुसार समय अनुपात आधार पर दर्ज किया जाता है।

14. पृथक खुलासा

निम्न के संबंध में आय तथा व्यय लेखे में पृथक से खुलासे किए जाते हैं :

- क) 'पूर्व अवधि में' आने वाली वे मदें जो ऐसे आय अथवा व्यय का हिस्सा होती हैं जो एक या इससे अधिक की पूर्व अवधियों में वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय त्रुटियों या भूलों के परिणामस्वरूप चालू वर्ष में उत्पन्न हुई हो।
- ख) 'अति—असामान्य' मदें जो आय या व्यय की भौतिक मदें होती हैं और जो ऐसी घटनाओं या लेन—देनों से उत्पन्न होती हैं जो सामान्य क्रियाकलापों से स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं, और जिनकी प्रायः या नियमित रूप से घटित होने की अपेक्षा नहीं की जाती है।
- ग) 'फुटकर आय' शीर्ष के अंतर्गत कोई भी ऐसी मद जो प्राधिकरण की सकल आय के 1 प्रतिशत अथवा 50,000 रुपये, इनमें से जो भी अधिक हो, उससे ज्यादा हो, उसे आय तथा व्यय के लेखे में उचित लेखाशीर्ष में दर्शाया जाता है।
- घ) 'फुटकर व्यय' के शीर्ष के अंतर्गत कोई भी ऐसी मद जो प्राधिकरण की सकल आय के 1 प्रतिशत अथवा 50,000 रुपये, इनमें से जो भी अधिक हो, उससे ज्यादा हो, उसे आय तथा व्यय के लेखे में उचित लेखा शीर्ष में दर्शाया जाता है।

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

अनुसूची 25

31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएं

उन आवेदकों का शुल्क वापस करने के मामले में प्राधिकरण के विरुद्ध एक संबंधित मुकदमे में जो आवेदकों ने राजपत्र अधिसूचना के पूर्व दायर किया था और जिसकी राशि 29.15 लाख रुपये के लगभग बताई गई है, माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे शुल्क को वापस करने का निर्णय किया है। तथापि, प्राधिकरण ने माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है।

2. पूंजीगत प्रतिबद्धता

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के पोर्टल का डिज़ाइन तैयार करने और विकास के लिए सहारा नेक्स्ट कारपोरेशन को 26.04.2012 को 10,81,909 रुपये की राशि का आपूर्ति आदेश दिया गया था। तथापि, वर्ष 2012–13 के दौरान कुल लागत का 25 प्रतिशत अर्थात् 3,03,908 रुपये की कुल राशि अदा की गई शेष 75 प्रतिशत राशि अर्थात् 7,78,001 रुपये दिनांक 31.03.2014 को अदा की जानी हैं क्योंकि पोर्टल की डिज़ाइनिंग और उसका विकास एक समय लेने वाली प्रक्रिया है और इसे राष्ट्रीय सूचना केन्द्र एनआईसी के आंकड़ा केन्द्र पर परीक्षण, होस्टिंग और कार्यान्वयन संबंधी तकनीकी अपेक्षाओं को पूरा करना होता है। इसी प्रकार, केन्द्रीय भंडार को 2 कुर्सियां और स्लाइडिंग डोर कैबिनेट की एक इकाई की आपूर्ति करने का आदेश 28.03.2014 को दिया गया था जो 50,824 रुपये राशि का था और इसकी आपूर्ति अप्रैल 2014 में की जानी है। इस प्रकार, 31.03.2014 को उपलब्ध न कराई गई पूंजी लेखे पर प्रतिबद्धता 8,28,825 रुपये होती है।

3. पट्टे संबंधी देनदारियां

- (क) एनएएससी परिसर, डीपीएस मार्ग, टोडापुर गांव के निकट, नई दिल्ली स्थित प्राधिकरण की कार्यालय इमारत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्राधिकरण द्वारा मासिक किराया 22,459 की दर से किराए पर ली गई है।
- (ख) गुवाहाटी तथा रांची स्थित शाखा कार्यालयों के लिए गुवाहाटी में इमारत कार्यालय हेतु असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट (एएयू) से 30.12.2011 को 60,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से किराये पर लेने से संबंधित एक पट्टादारी समझौता लागू किया गया है और इसी प्रकार रांची में 50,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से कार्यालय इमारत के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू), रांची के साथ 01.09.2012 को एक पट्टा समझौता लागू किया गया है।
- (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने पत्र सं. 2(2)/2007 सी पीटी/ईसी दिनांक 24.01.2011 को 28.04.2011 से 30 वर्ष के लिए पट्टे के आधार पर हर भजन इन्कलेव, पूसा परिसर, नई दिल्ली के निकट 10,480 वर्ग मी. भूमि आबंटित की है। यह अवधि आपसी समझौते पर और भी बढ़ाई जा सकती है। इस संबंध में 11 नवम्बर 2013 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (भा.कृ.अ.सं.)/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) और पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी और एफआरए) के बीच 1 रुपये प्रति वर्ष लीज़ रेन्ट की नाम मात्र दर पर एक लीज़ डीड लागू की गई है।

जारी है...

भा.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

4. प्राधिकरण भवन का निर्माण

12वीं पंचवर्षीय योजना के ईएफसी ज्ञापन में पीपीपी और एफआरए के हिस्से के रूप में पौधा किस्म भवन निर्माण हेतु प्रावस्था के आधार पर 62.67 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में हरभजन सिंह इन्कलेव, नई दिल्ली के निकट मौजूद 10,480 वर्ग मी. भूमि पट्टे के आधार पर पीपीवी और एफआरए को हस्तांतरित की गई है। सभी कोडल औपचारिकताएं पूरी होने के बाद प्राधिकरण ने ईमारत निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की है और आवश्यक अनापत्तियां प्राप्त कर ली हैं। इस दौरान योजना आयोग ने प्रस्तावित पौधा किस्म भवन में एनआरए व डीएसी को समायोजित करने की संभावना तलाशने के लिए योजना आयोग ने यह मामला कृषि एवं सहकारिता विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया है। अतिरिक्त तलों के निर्माण की संभावना को तलाशने के लिए 24 अगस्त 2012 को डीएसी, एनआरए, पीपीवी और एफआरए तथा यूपीआरएनएन के अधिकारियों के बीच एक समिलित बैठक आयोजित हुई। बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि तीन अतिरिक्त तल तथा एक भूमिगत तल निर्मित किया जाएगा जिसमें से 2 तल एनआरए और एक तल कृषि एवं सहकारिता विभाग के लिए होगा। ईमारत के क्षेत्र तथा लागत में साझीदारी के लिए पीपीवी और एफआरए तथा राष्ट्रीय बारानी क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरए) के बीच 07.04.2014 को एक समझौता ज्ञापन लागू किया गया।

इस समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार दो तलों के निर्माण की लागत, भूमिगत तल के निर्धारित भाग व अन्य सामान्य सुविधाओं पर होने वाले व्यय को निर्मित क्षेत्र पर प्रोरेटा के आधार पर राष्ट्रीय बारानी क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा। पीपीवी और एफआरए ने ले—आउट प्लान, ड्राइंग तैयार करने और आकलन आदि जैसी प्रक्रियाओं पर अभी तक जो भी कार्य किया है वह पुनः किया जाएगा तथा डिजाइनों, ड्राइंगों, आकलन की बोली से संबंधित दस्तावेजों, संशोधित अनापत्तियों आदि पर होने वाला व्यय राष्ट्रीय बारानी क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा। इसलिए ले—आउट प्लान को पुनः तैयार करने में होने वाला व्यय का दावा जो 187.40 लाख रुपये है और जिसे यूपीआरएन लिमिटेड ने किया है, उस राशि का भुगतान एनआरए द्वारा किया जाएगा। समझौता ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि इमारत का निर्माण पूरा होने के बाद वार्षिक सामान्य रखरखाव तथा अनुरक्षा संबंधी व्यय में इमारत के निर्मित क्षेत्र पर प्रोरेटा आधार पर एनआरए की भी हिस्सेदारी होगी।

5. अचल सम्पत्तियां

भौतिक सत्यापन के दौरान एक बारकोड प्रिंटर, एक बारकोड स्कैनर, एक विश्लेषण तुला और एक नमी विश्लेषक व एक लैपटॉप जिनका कुल मूल्य 2,84,769 है। गायब पाए गए तथा एक बीज शुष्कक अतिरिक्त पाया गया। इस मामले में जांच पड़ताल और निर्णय के लंबित होने के कारण इस संबंध में कोई लेखाकरण नहीं किया गया है।

6. चालू सम्पत्तियां, ऋण तथा पेशगियां

- (क) प्राधिकरण ने डाक घर से फ्रैंकिंग मशीन ली है और उसे एकमुश्त राशि की टिकटों से भर दिया है। इस राशि को मौजूदा टिकटों के रूप में दर्शाया गया है। टिकटों की दैनिक खपत के लिए एक रजिस्टर रखा गया है। टिकटों पर होने वाले कुल व्यय को सम्बद्ध व्यय शीर्ष के अंतर्गत नामे किया जाता है। 31 मार्च 2014 को मौजूद टिकटों की राशि 61,248 रुपये थी।
- (ख) पूर्व अध्यक्ष के अंशदान भविष्य निधि के रूप में कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार से प्राप्त 45,000 रुपये की राशि पेशगी के रूप में दर्शायी गई है। मंत्रालय के अनुदेशों पर अध्यक्ष का अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) बंद कर दिया गया तथा इस राशि को प्राधिकरण द्वारा वापिस कर दिया गया है जिसके लिए मंत्रालय को देने के लिये अनुरोध किया गया है लेकिन वापसी की प्रतीक्षा की जा रही है।

जारी है...

क्रांति काल प्रधान
आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/४२
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

- (ग) वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने डीयूएस परीक्षण शुल्क की प्राप्तियों को किस प्रकार माना जाए इससे संबंधित नीति में बदलाव किया है। तदनुसार डीयूएस परीक्षण शुल्क के रूप में प्राप्त 1,36,19,500 रुपये की राशि को डीयूएस परीक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय के रूप में लिया गया है, न कि इसे डीयूएस परीक्षण शुल्क के लिए देयता के रूप में लिया गया है। लेखाकरण की इस नीति में बदलाव के कारण प्राधिकरण की आय में वृद्धि हुई है और डीयूएस शुल्क की देयता में वर्ष 2013–14 के लेखों में 1,36,19,500 रुपये की राशि कम हुई है। 2008–09 से 2012–13 की अवधि के दौरान डीयूएस परीक्षण शुल्क के रूप में 3,17,67,500 और अदा की गई 77,36,500 रुपये की पेशगी राशि की देयता का समायोजन अभी हाना बाकी है क्योंकि प्राप्त किए गए डीयूएस परीक्षण शुल्क के अलग—अलग मामलों तथा संबंधित डीयूएस परीक्षण केन्द्रों को अदा की जाने वाली पेशगियों को एक साथ जोड़ते हुए डीयूएस परीक्षण रिपोर्टों की तिथि से उनके द्वारा प्राप्त होने वाली राशि को समायोजित होने की प्रक्रिया की जा रही है।
- (घ) डीयूएस केन्द्रों में पेशगियों के रूप में 01.04.2013 को आदिशेष 1,37,74,627 रुपये था और वर्ष 2013–14 में विभिन्न डीयूएस केन्द्रों को 3,93,85,671 रुपये की राशि जारी की गई। वर्ष 2013–14 के लिए 2,55,60,6680 रुपये के और वर्ष 2012–13 के लिए 18,30,484 रुपये की राशि के उपयोग प्रमाण—पत्र तथा वर्ष 2013–14 के लेखों के बंद होने तक प्राप्त किए गए। शेष 2,58,37,775 रुपये की राशि 31.03.2014 को बकाया है क्योंकि संबंधित डीयूएस केन्द्रों से उपयोग प्रमाण—पत्र प्राप्त होना बाकी है — अनुबंध ख और ग।
- (ङ) दिनांक 01.04.2013 को आदिशेष के रूप में नए डीयूएस केन्द्रों को दी गई पेशगी की राशि 2,35,76,997 रुपये थी तथा वर्ष 2013–14 के दौरान विभिन्न डीयूएस केन्द्रों को 2,30,61,424 रुपये की राशि जारी की गई। वर्ष 2013–14 के लेखों के बंद होने तक वर्ष 2013–14 के लिए 1,94,77,348 रुपये और वर्ष 2012–13 के लिए 73,16,817 रुपये की राशि के उपयोग के प्रमाण—पत्र प्राप्त हो गए हैं तथा 2,11,74,578 रुपये की राशि 31.03.2014 को बकाया है क्योंकि संबंधित नए डीयूएस परीक्षण केन्द्रों से उपयोग प्रमाण—पत्र प्राप्त होने बाकी हैं — अनुबंध घ व ङ।
- (च) दिनांक 01.04.2013 को संदर्भ प्रयोगशालाओं को दी गई पेशगी की राशि 68,91,595 रुपये थी तथा वर्ष 2013–14 के दौरान विभिन्न संदर्भ प्रयोगशालाओं को 11,83,254 रुपये की राशि जारी की गई। वर्ष 2013–14 के लेखों के बंद होने तक वर्ष 2013–14 के लिए 54,42,738 रुपये और वर्ष 2012–13 के लिए शून्य रुपये की राशि के उपयोग के प्रमाण—पत्र प्राप्त हो गए हैं तथा 22,61,611 रुपये की राशि 31.03.2014 को बकाया है क्योंकि संबंधित नए डीयूएस परीक्षण केन्द्रों से उपयोग प्रमाण—पत्र प्राप्त होने बाकी हैं — अनुबंध च।
- (छ) दिनांक 01.04.2013 को आदिशेष के रूप में फील्ड जीन बैंकों को दी गई पेशगी की राशि 42,15,682 रुपये थी तथा वर्ष 2013–14 के दौरान विभिन्न फील्ड जीन बैंकों को 46,30,000 रुपये की राशि जारी की गई। वर्ष 2013–14 के लेखों के बंद होने तक वर्ष 2013–14 के लिए 43,16,625 रुपये और वर्ष 2012–13 के लिए 57,451 रुपये की राशि के उपयोग के प्रमाण—पत्र प्राप्त हो गए हैं तथा 45,41,166 रुपये की राशि 31.03.2014 को बकाया है क्योंकि संबंधित नए डीयूएस परीक्षण केन्द्रों से उपयोग प्रमाण—पत्र प्राप्त होने बाकी हैं — अनुबंध छ एवं ज।
- (ज) दिनांक 01.04.2013 को आदिशेष के रूप में विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों को दी गई पेशगी की राशि 65,80,043 रुपये थी तथा वर्ष 2013–14 के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों को 1,98,81,163 रुपये की राशि जारी की गई। वर्ष 2013–14 के लेखों के बंद होने तक वर्ष 2013–14 के लिए 1,09,33,350 रुपये और वर्ष 2012–13 के लिए 27,82,580 रुपये की राशि के उपयोग के प्रमाण—पत्र प्राप्त हो गए हैं तथा 1,19,72,451 रुपये की राशि 31.03.2014 को बकाया है क्योंकि संबंधित प्रशिक्षण परीक्षण केन्द्रों से उपयोग प्रमाण—पत्र प्राप्त होने बाकी हैं — अनुबंध झ।

जारी है...

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/४२
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

- (ज्ञ) वर्ष के दौरान कुछ डीयूएस परीक्षण/परियोजना केन्द्रों द्वारा किए गए वास्तविक व्यय से संबंधित प्राप्त उपयोग प्रमाण—पत्रों के अनुसार कुल व्यय वर्ष में दिये गये राशि से 10,42,820 रुपये अधिक था। चूंकि यह अतिरिक्त व्यय चालू वर्ष से संबंधित है, अतः वांछित देयता सृजित की गई है जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद जारी की जाएगी और यदि किया गया अतिरिक्त व्यय तर्कसंगत नहीं पाया गया तो सृजित की गई देयता को वापस ले लिया जाएगा।
- (ट) वर्ष 2013–14 के दौरान प्राप्त उपयोग प्रमाण—पत्र के अनुसार 2,21,553 रुपये की राशि को कुछ डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं द्वारा 2012–13 के दौरान उपयोग किया गया दिखाया गया है। पिछले वर्ष उपयोग में लाई गई राशि के रूप में दर्शायी गई अतिरिक्त राशि को 01.04.2013 को पेशगी के रूप में आदिशेष के रूप में वापस ले लिया गया है।
- (ठ) कुछ मामलों में पेशगियों को अस्थाई उपयोग प्रमाण—पत्र के आधार पर समायोजित किया गया है इसके अलावा बकाया पेशगियों को डीयूएस केन्द्र/परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पुष्ट किए जाने पर समायोजित किया जाएगा।
- (ड) डीयूएस केन्द्रों, नए डीयूएस केन्द्रों, फील्ड जीन बैंकों, संदर्भ प्रयोगशालाओं और प्रशिक्षण केन्द्रों से वर्ष 2013–14 के लिए उपयोग प्रमाण—पत्रों की प्राप्तियों के लंबित होने के कारण संस्थाओं/संगठनों तथा प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम के लिए क्रमशः 96,00,000 और 63,50,000 रुपये की राशि का आकलित आधार पर पूर्व प्रवृत्ति के अनुसार एक मुस्त प्रावधान किया गया है।
- (ण) वार्षिक शुल्क को फसल किस्म के पंजीकृत होने की तिथि से एक वर्ष पूरे होने पर बकाया माना गया है। तदनुसार प्राप्त वार्षिक शुल्क, पहले से प्राप्त व वापसी योग्य राशि को 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार लेखाकृत किया गया है। किसी भी वार्षिक शुल्क को उस स्थिति में प्राप्त नहीं माना गया है जब वार्षिक शुल्क की बकाया तिथि के पहले पंजीकृत किस्म की वैधता की अवधि समाप्त हो गई हो। इसके अतिरिक्त राजपत्र अधिसूचना दिनांक 26 अगस्त 2009 के अनुसार प्रजनकों या एजेंट या लाइसेंसी को पंजीकृत किस्म के बीजों के बिक्री मूल्य और रायलटी के कुछ प्रतिशत भाग को अदा करने की अपेक्षा की जाती है। दिनांक 31.03.2014 को 78 मामलों में बिक्री मूल्य तथा रायलटी का हिस्सा बकाया था लेकिन प्राधिकरण ने केवल पांच से 10,17,482 रुपये ही प्राप्त किए। बकाया राशि के लिए आय का लेखाकरण इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि प्रजनकों या एजेंटों और लाइसेंसों से बिक्री मूल्य का विवरण प्राप्त नहीं हुआ था और इन मामलों में वांछित अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। यदि कोई प्रजनक/एजेंट या लाइसेंसी लगातार दो वर्षों के दौरान शुल्क जमा कराने में असमर्थ हो जाता है तो एक नोटिस जारी करने की आवश्यकता होती है और यदि इस नोटिस में दिए गए निर्देशों का पालन न किया जाए तो सभी देय सुरक्षाएं जब्त कर ली हुई घोषित की जाती हैं। दिनांक 31.03.2014 को 43 पक्षों से लगातार दो वर्षों का वार्षिक शुल्क प्राप्त नहीं हुआ है जिसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

7. कर-निर्धारण

पीपीवी और एफआरए 2001 की धारा 91 के अनुसार “प्राधिकरण को अपनी संपत्ति, आय, लाभ अथवा प्राप्तियों पर आयकर या कोई अन्य कर नहीं देना है” अतः वर्तमान और अदा कि जाने वाले आय कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

8. उच्चांत

मुख्यालय में 31.3.2014 को 15,000/-रुपये की उच्चांत राशि बकाया थी लेकिन गुवाहाटी तथा रांची के मामले में कोई भी उच्चांत राशि बकाया नहीं थी।

जारी है...

काम्प.काम्प.प्रधान
आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/४२
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर.कृष्णानन्द
आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

9. जीन निधि

वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने प्राधिकरण निधि से प्राप्त 85,00,000 रुपये के योगदान में से 61,10,817 रुपये की राशि व्यय की है तथा जमा पर ब्याज और वार्षिक शुल्क को खाते में लेने के पश्चात् जीन निधि खाते में 55,09,777 रुपये की शेष राशि हस्तांतरित की गई।

10. चालू देयताएं

(क) दिनांक 31.03.2013 को देय 1,34,608 रुपये की राशि में से वर्ष के दौरान 99,455 रु. की राशि अदा की गई और 35,153 रुपये की राशि शेष रही, जो समायोजन की प्रक्रिया में है। वर्ष 2013–14 के दौरान एनपीएस के रूप में 1,17,698 रुपये की राशि देय है।

(ख) विवाद के निपटारे के लंबित रहने के कारण वित्त वर्ष 2013–14 के लिए नियमित स्टाफ हेतु तथा नियमित वेतनमान पर ठेके के आधार पर लगाए गए स्टाफ के लिए 01.10.2012 से 31.03.2014 तक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

11. सरकारी अनुदान

भारत के सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा मानक (एएस–12) के अनुसार द्वासमान परिसम्पत्तियों से संबंधित अनुमानों को इतर आय के रूप में माना जाता है जिसे परिसम्पत्ति के उपयोगी जीवनकाल के दौरान आय और व्यय लेखे में मान्यता प्रदान की जाती है। तदनुसार भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों से वर्ष के दौरान खरीदी गई अचल सम्पत्तियों को कॉर्पस/पूँजी निधि के रूप में जोड़ा गया है जिसकी राशि 11,72,604 रुपये है और वर्ष के दौरान वसूला गया मूल्यद्वास 31,51,754 रुपये है जो संबंधित आय और व्यय लेखे के नामे में से कॉर्पस निधि से घटा दिया गया है और इसे इतर आय माना गया है।

12. सेवानिवृत्ति लाभ

(क) ग्रेच्युटी : कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध कराई गई है जो कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा के कुल वर्षों पर निर्भर करती है तथापि, इसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये है। तुलन-पत्र में दर्शाई गई ग्रेच्युटी दायिता का सारांश इस प्रकार है:

(रुपयों में)

(क) 31.03.2014 को देनदारी का वर्तमान मूल्य 12,33,264

(ख) प्रावधान के अनुसार तुलन पत्र में दर्शाई गई दायिता 12,33,264

वास्तविक अवधारणाएं

वास्तविक मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त होने वाली प्रमुख अवधारणाएं निम्नानुसार हैं :

प्रयुक्त की गई विधि – परिवीक्षित इकाई जमा विधि	
छूट की दर	8.50%

वेतन में भावी बढ़ोतरी	6.00%
-----------------------	-------

जारी है...

आर.आर. प्रधान
आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/४२
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

(ख) छुट्टी नकदीकरण : कर्मचारियों द्वारा अर्जित छुट्टी संबंधी देयता को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है जो वर्ष के अंत में अर्जित की गई छुट्टी, नकदीकरण, ली गई छुट्टी, समाप्त हो गई छुट्टी तथा प्रतिपूरक अनुपस्थिति के आधार पर निश्चित होती है। ऐसा सेवा में रहते समय अथवा सेवा को छोड़ते समय निर्धारित किया जाता है जो प्राधिकरण में एएस-15(आर) के अनुसार निर्धारित होता है।

31.03.2014 को प्रतिपूरित अनुपस्थिति सहित अर्जित की गई छुट्टी दायिता की संक्षिप्त स्थिति इस प्रकार है:

रूपयों में

(क) दिनांक 31.03.2014 को देनदारी का वर्तमान मूल्य	17,03,829
(ख) प्रावधान के अनुसार तुलन पत्र में दशाई गई दायिता	17,03,829

वास्तविक अवधारणाएं

वास्तविक मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त होने वाली प्रमुख अवधारणाएं निम्नानुसार हैं :

प्रयुक्त की गई विधि – परिवीक्षित इकाई जमा विधि	
छूट की दर	8.50%
वेतन में भावी बढ़ोतरी	6.00%

13. विदेशी मुद्रा लेन–देन

वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान विदेशी मुद्रा का कोई लेन–देन नहीं हुआ।

14. पूर्वावधि समायोजन लेखा

वर्ष 2012–13 के दौरान विभिन्न डीयूएस केन्द्रों, परियोजनाओं तथा प्रशिक्षण केन्द्रों को दी गई पेशगियों का समायोजन वर्ष 2012–13 के लेखों को अंतिम रूप देने की तिथि तक प्राप्त हुए उपयोग प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। वर्ष 2012–13 या इससे पूर्व की अवधि से संबंधित वर्ष 2013–14 को प्राप्त किए गए प्रमाण पत्रों को, पूर्वावधि व्यय शीर्षों के अंतर्गत लेखाकृत किया गया है। इसी प्रकार, उस पूर्वावधि से संबंधित आय/व्ययों को, जिनके लिए संबंधित वर्ष में दायिता सृजित नहीं की जा सकी थी, पूर्वावधि समायोजन लेखे के अंतर्गत लेखाकृत किया गया है।

15. पिछले वर्ष के आंकड़े

पिछले वर्ष के संबंधित आंकड़े पुनर–समूहित/पुनर–वर्गीकृत किए गए हैं जो चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप हैं।

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली–110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली–110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली–110012



कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit (Central Expenditure)
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110 002
Indraprastha Estate, New Delhi - 110 002

ए.एम.जी.-IV/एस.ए.आर/पी.पी.टी.वी.एवं.एफ.आर.ए/9-12/2014-15

दिनांक: 3.11.2014

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार
कृषि मन्त्रालय,
कृषि एव सहकारिता विभाग
कृषि भवन,
नई दिल्ली-110001

विषय : वर्ष 2013-14 के लिए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

महोदया/महोदय,

मैं पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2013-14 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करता हूँ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियों उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing Body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाये तथा यह भी सुनिश्चित करें कि 2013-14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्ण वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपरिहित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें।

“प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।”

अवदीय,

संलग्नक: यथोपरी

टैक्स/—

निदेशक (ए एम जी -IV)

प्रति, प्रमाणित वार्षिक लेखे कि प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित महापंजिकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, एन.ए.एस.सी. काम्प्लेक्स, (टोडा पुर के सामने) डी.पी.एस मार्ग, नई दिल्ली 110012 को आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेजित की जाती है। वार्षिक लेखाओं की हिंदी प्रति की। प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भेजी जाए।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब ये संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

संलग्नकःयथोपरी


निदेशक (ए एम जी -IV)

प्रति, प्रमाणित वार्षिक लेखे कि प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित प्रशासन अधिकारी (रिपोर्ट -ए बी), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 को अंग्रेजित की जाती है।

यह महानिदेशक लेखापरीक्षा, केंद्रीय व्यय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

संलग्नकःयथोपरी


निदेशक (ए एम जी -IV)

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी और एफआरए) के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत जिसे पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 62 (2) के साथ पढ़ा जाना है, के अनुपालन में उपरोक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार आय और व्यय के लेखे तथा प्राप्तियों व अदायगियों के लेखे के साथ संलग्न पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी और एफआरए) के तुलन-पत्र की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में पीपीवी और एफआरए की दो इकाइयों/शाखाओं के लेखे भी शामिल हैं। ये वित्तीय विवरण पीपीवी और एफआरए के प्रबंधन का उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर अपने विचार व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं, लेखाकरण मानकों व मानदंडों के अनुपालन के अनुसार वर्गीकरण के संबंध में लेखाकरण उपचार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां भी हैं। विधानों, नियमों, विनियमों (स्वामित्व एवं विनियमनकारिता) के अनुपालन के संदर्भ में वित्तीय लेन-देनों पर लेखापरीक्षा संबंधी पर्यवेक्षण व कुशलता तथा निष्पादन संबंधी पहलुओं आदि पर, यदि कोई है तो उसे अलग से निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से रिपोर्ट किया गया है।
3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्य रूप से स्वीकार लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह वांछित है कि हम यह जानने के लिए कि वित्तीय विवरण प्रत्येक प्रकार की भौतिक विसंगतियों से मुक्त हैं, तर्कसंगत सुनिश्चितता प्राप्त करने के लिए अपनी लेखापरीक्षा को नियोजित व निष्पादित करें। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में दो गई राशियों और खुलासों के समर्थन में प्रस्तुत किए गए प्रमाणों की परीक्षण आधार पर जांच भी शामिल है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा इस्तेमाल किए गए लेखा संबंधी सिद्धांत व उल्लेखनीय विवरणों के साथ—साथ वित्तीय विवरणों के सकल प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा से हमारे विचारों को एक तर्कसंगत आधार उपलब्ध होता है।
4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :
 - i) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे।
 - ii) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन-पत्र, आय और व्यय के लेखे और प्राप्तियों व अदायगियों के लेखे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखों के प्रारूप या फार्मेट में तैयार किए गए हैं।
 - iii) हमारे विचार से पीपीवी और एफआर प्राधिकरण द्वारा उचित लेखा बहियां तथा अन्य संबंधित रिकॉर्ड रखे गए हैं। जैसा कि हमारे द्वारा पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 62 के अंतर्गत की गई जांच से प्रतीत होता है।
 - iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

अनुदान सहायता

पीपीवी और एफआरए ने 2013–14 के दौरान 1511.96 लाख रुपये की अनुदान सहायता प्राप्त की है और उनके पास 13.51 लाख रुपये की आदिशेष राशि थी। कुल 1525.47 लाख रुपये में से 1525.38 लाख रुपये का उपयोग हुआ तथा 0.09 लाख रुपये बिना खर्च हुए शेष रहे।

v) पूर्ववर्ती पैराग्राफों में अपने पर्यवेक्षणों के संदर्भ में हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में प्रस्तुत तुलन-पत्र व आय और व्यय के विवरण तथा प्राप्ति व अदायगियों के लेखे लेखा—बहियों के अनुसार हैं।

जारी है...

(v) हमारी राय में तथा हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कथित वित्तीय विवरणों को लेखाकरण नीतियों तथा लेखों पर की गई टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाना है तथा उपरोक्त बताए गए उल्लेखनीय मामले और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध में उल्लिखित मामलों के अनुसार सच्चा और ईमानदार दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण प्रणाली के सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

- क. जहां तक इसका तुलन-पत्र से संबंध है, यह पीपीवी और एफआरए के मामलों की 31 मार्च 2014 की स्थिति से संबंधित है, तथा
- ख. जहां तक इसका संबंध आय और व्यय के लेखे से है, वहां इसमें उल्लिखित अतिरिक्त या सरप्लस के संबंध में उक्त तारीख को समाप्त वर्ष से है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 03.11.2014

लेखापरीक्षक महानिदेशक
केन्द्रीय व्यय

अनुबंध

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

नियमित स्टाफ की कमी के कारण प्राधिकरण का अलग से कोई आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग नहीं है। तथापि, वर्ष 2013–14 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा सनदी लेखापरीक्षक द्वारा की गई है। लेखापरीक्षक अनवरत मासिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट देते हैं जिसका उत्तर मासिक आधार पर दिया जाता है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए क्षेत्र में आंतरिक नियंत्रण उपयुक्त है।

3. अचल सम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

अचल सम्पत्तियों का वर्ष 2013–14 के लिए भौतिक सत्यापन किया गया है।

4. वस्तु सूची की भौतिक सत्यापन प्रणाली

लेखन—सामग्री तथा अन्य खपत योग्य वस्तुओं आदि का मार्च 2014 तक भौतिक सत्यापन किया गया है।

5. वैधानिक बकायों के भुगतान में नियमितता

आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क आदि जैसी वैधानिक देयताएं 31.03.2014 को किसी भी मामले में 6 माह से अधिक तक बकाया नहीं थी।

प्रबंधन का उत्तर

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के वर्ष 2013–14 के वार्षिक लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर बिंदुवार उत्तर

लेखापरीक्षा पर आधारित टिप्पणियां	उत्तर
<p>1. हमने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य और शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) जिसे पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 62(2) के साथ पढ़ा जाना है, के अंतर्गत 31 मार्च 2014 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, पीपीवी और एफआरए के संलग्न तुलन-पत्र और वर्ष में समाप्त आय एवं व्यय लेखे तथा प्राप्तियों और भुगतानों की लेखापरीक्षा की है। वित्तीय विवरणों में पीपीवी और एफआरए की 2 इकाइयों/शाखाओं के लेखे भी शामिल हैं। ये वित्तीय विवरण पीपीवी और एफआरए प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं। इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने का दायित्व हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित है।</p> <p>2. पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, लेखापरीक्षा की सर्वश्रेष्ठ विधियों को अपनाने, लेखाकरण मानकों और खुलासा के मानदंडों आदि पर भारत के नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक की टिप्पणियां हैं। कानूनों, नियमों और विनियमों (स्वामित्व तथा नियमितता) तथा दक्षता-एवं-कार्य निष्पादन आदि के साथ-साथ वित्तीय लेन-देनों के पहलुओं पर लेखापरीक्षा संबंधी पर्यवेक्षण निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग से रिपोर्ट किए गए हैं।</p> <p>3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में स्वीकार किए गए सामान्य लेखापरीक्षा मानकों के साथ की है। इन मानकों में यह वांछित है कि हम अपनी लेखापरीक्षा इस प्रकार नियोजित और निष्पादित करें कि सामग्री के गलत विवरणों से मुक्त वित्तीय विवरण प्राप्त हुए हैं या नहीं इसे तर्कसंगत रूप से सुनिश्चित किया जा सके। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों के समर्थन में दिए गए प्रमाणों और खुलासों की परीक्षण आधार पर जांच शामिल है। किसी लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा किए गए उल्लेखनीय आंकलनों व लेखापरीक्षा में प्रयुक्त सिद्धांतों का मूल्यांकन भी शामिल है और इसके साथ-साथ वित्तीय विवरणों के सकल प्रस्तुतीकरण का भी मूल्यांकन किया जाता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा से हमारे विचार को तर्कसंगत आधार मिलता है।</p>	<p>तथ्यों का विवरण होने के कारण, उत्तर की आवश्यकता नहीं है।</p>
<p>आर.आर. प्रधान प्रभारी (वित्त) पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण भारत सरकार एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स नई दिल्ली-110012</p>	<p>2/४२ आर.सी. अग्रवाल महापंजीकार पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण कृषि मंत्रालय, भारत सरकार एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स नई दिल्ली-110012</p>
<p>आर.आर. हंचिनाल अध्यक्ष पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स नई दिल्ली-110012</p>	<p>आर.आर. हंचिनाल अध्यक्ष पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स नई दिल्ली-110012</p>

लेखापरीक्षा पर आधारित टिप्पणियां	उत्तर
<p>4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से जरूरी हैं। (ii) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन-पत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्तियों एवं भुगतानों के लेखे भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखों के समरूप फार्मेट में तैयार किए गए हैं। (iii) हमारे विचार से पीपीवी और एफआरए द्वारा जैसा कि ऐसे बही खातों की हमारी जांच से दिखाई देता है, पीपीवी और एफआर अधिनियम 1962 की धारा 62(1) के अंतर्गत उचित बहीखाते तथा अन्य संबंधित रिकॉर्ड रखे गए हैं। (iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि : <p>अनुदान सहायता</p> <p>पीपीवी और एफआरए ने 2013–14 के दौरान 1511.96 लाख रुपये की अनुदान सहायता प्राप्त की है और उनके पास 13.51 लाख रुपये की आदिशेष राशि थी। कुल 1525.47 लाख रुपये में से 1525.38 लाख रुपये का उपयोग हुआ तथा 0.09 लाख रुपये बिना खर्च हुए शेष रहे।</p> <p>(v) पूर्व पैराग्राफों में किए गए अपने पर्यवेक्षणों के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र और आय व व्यय के लेखे तथा प्राप्तियों और भुगतानों के लेखे बहीखातों के अनुसार हैं।</p> <p>(vi) हमारे विचार तथा हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखा नीतियों तथा लेखों पर टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने वाले कथित वित्तीय विवरण और उपरोक्त वर्णित उल्लेखनीय मामले व लेखापरीक्षा के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामले भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप होने का सच्चा और ईमानदार स्वरूप प्रस्तुत करते हैं।</p> <p>क. जहां तक तुलन-पत्र का संबंध है यह पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के 31 मार्च 2014 को उल्लिखित मामलों के अनुसार है; और</p> <p>ख. जहां तक समाज वर्ष की तिथि पर आय और व्यय लेखे का संबंध है वहां यह अतिरिक्त राशि के मामले में अनुकूल है।</p>	<p style="text-align: center;">तथ्यों का विवरण होने के कारण, उत्तर की आवश्यकता नहीं है।</p>

क्रान्ति कानून प्रधान
आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/४२
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध

लेखापरीक्षा पर आधारित टिप्पणियां	उत्तर
1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता नियमित स्टाफ की कमी के कारण प्राधिकरण का अलग से कोई आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग नहीं है। तथापि, वर्ष 2013–14 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा सनदी लेखापरीक्षक द्वारा की गई है। लेखापरीक्षक अनवरत मासिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट देते हैं जिसका उत्तर मासिक आधार पर दिया जाता है।	
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए क्षेत्र में आंतरिक नियंत्रण उपयुक्त है।	
3. अचल सम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली अचल सम्पत्तियों का वर्ष 2013–14 के लिए भौतिक सत्यापन किया गया है।	तथ्यों का विवरण होने के कारण, उत्तर की आवश्यकता नहीं है।
4. वस्तु सूची की भौतिक सत्यापन प्रणाली लेखन–सामग्री तथा अन्य खपत योग्य वस्तुओं आदि का मार्च 2014 तक भौतिक सत्यापन किया गया है।	
5. वैधानिक बकायों के भुगतान में नियमितता आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क आदि जैसी वैधानिक देयताएं 31.03.2014 को किसी भी मासले में 6 माह से अधिक तक बकाया नहीं था।	

क्रांति कानून प्रधान
आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

2/82
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं, प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स
नई दिल्ली-110012